रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092024-257022
CG-DL-E-09092024-257022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 703] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2024/भाद्र 18 1946
No. 703] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 18, 1946

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन) विनियम, 2024

(2024 का सं. 07)

फा.सं.सीसीआई/सीडी/संयो.विनि./2024.—प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 6 की उपधारा (2) और (4), धारा 6क और धारा 29क की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख), (ग), (गक), (गख), (गग), (च) और (चग) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, *अर्थात्*: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन) विनियम, 2024 है।

(2) ये 10 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) "संयोजन के पक्षकार" से संयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति या उद्यम अभिप्रेत है और यदि संयोजन प्रभाव में आ गया है तो इसमें संयोजित अस्तित्व सम्मिलित होगा;

(ग) "सुसंगत तारीख" से वह तारीख, जिस तारीख को निदेशक मंडल, विलयन या समामेलन से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करता है या करार के निष्पादन की तारीख या अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अर्जन या नियंत्रण का अर्जन करने के लिए ऐसे अन्य दस्तावेज की तारीख अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इन विनियमों या अधिनियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, 'दिवस' के प्रतिनिर्देश से कलैंडर दिवस अभिप्रेत होगा।

(3) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वह अर्थ होगा जो उनका अधिनियम या तद्धीन विरचित नियमों या विनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में है।

3. कतिपय परिस्थितियों में प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति.

ऐसी किसी परिस्थिति में, जिसके लिए इन विनियमों या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 में उपबंध नहीं किया गया है, वहां आयोग, यदि ऐसा अपेक्षित हो, ऐसे विषयों में, प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा।

4. संव्यवहार का मूल्य और भारत में सारवान कारबार प्रचालन.

(1) अधिनियम की धारा 5 के खंड (घ) के प्रयोजन के लिए, संव्यवहार के मूल्य में प्रत्येक मूल्यवान प्रतिफल, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अव्यवहित या आस्थगित, नकद या अन्यथा हो, प्रतिफल सहित, किंतु यहीं तक सीमित नहीं, सम्मिलित होगा, —

(क) विक्रेता या कोई अन्य व्यक्ति पर अधिरोपित कोई प्रसंविदा, बचनबंध, बाध्यता या निर्बंधन के लिए यदि ऐसे प्रतिफल पर पृथक्त सहमति हो जाती है;

(ख) ऐसे सभी अंत:संबंधित प्रक्रमों और संव्यवहार के लिए जो इन विनियमों के विनियम 9 के उपविनियम (4) और (5) में उपबंधित है;

(ग) उस तारीख से दो वर्ष में संदाय, जिस तारीख को, संव्यवहार के भाग रूप में किये गये या उससे आनुषांगिक इंतजाम(इंतजामों) के लिए प्रौद्योगिकी सहायता, बौद्धिक संपदा अधिकारों का अनुज्ञापन, कोई उत्पाद, सेवा या सुविधा की अधिकार प्रथा, कच्ची सामग्रियों या तैयार माल का प्रदाय, ब्रांडिंग और विपणन सहित किंतु यहीं तक सीमित नहीं, संव्यवहार प्रभाव में आयेंगे;

(घ) मांग विकल्प और ऐसे विकल्प का पूर्ण प्रयोग की धारणा करते हुए उसके अर्जित किए जाने वाले शेयरों के लिए;

(ड.) संव्यवहार दस्तावेजों के अधीन विनिर्दिष्ट भावी परिणाम पर आधारित, सर्वोत्तम प्राक्कलन के अनुसार संदेय।

स्पष्टीकरण. — इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए,

(क) भावी संदायों का मूल्य का वर्तमान मूल्य से मितिकाटा नहीं किया जाएगा;

(ख) विदेशी मुद्रा की भारतीय रुपये में संपरिवर्तन की दर, सुसंगत तारीख से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उद्धृत अंतिम छह मास के लिए औसत स्पॉट दर होगी;

(ग) संव्यवहार के मूल्य में, कोई पक्षकार या उसके समूह अस्तित्व द्वारा सुसंगत तारीख से पूर्व, दो वर्ष की कालावधि में किसी समय, संव्यवहार में अर्जित या विलयित या समामेलित होने वाले उद्यम में कोई अर्जन के लिए प्रतिफल सम्मिलित होगा;

(घ) ऐसी दशा में, जहां किसी खुली प्रस्थापना का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी नियमों या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य कानून के अंतर्गत कार्यान्वयन किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जिसे सूचना देना अपेक्षित है, संव्यवहार के मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रस्थापना का पूर्ण अभिदान करेगा।

(ड.) संव्यवहार के मूल्य में संव्यवहार लागतें सम्मिलित नहीं होती हैं जैसे विधिक सलाह के लिए, बैंकों में विनिधान, नियामक, कानूनी प्रधिकरण इत्यादि को संदेय फीस;

(च) विलयन या समामेलन की दशा में या जहां संव्यवहार का सही और पूर्ण मूल्य संव्यवहार दस्तावेजों में लेखाबद्ध नहीं किया जाता है, वहां उस संव्यवहार या उसके घटक का मूल्य वही होगा जो निदेशक मंडल या इन विनियमों के अधीन, सूचना दाखिल करने को बाध्य व्यक्ति का कोई अन्य अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी ने माना है;

(छ) यदि निदेशक मंडल या इन विनियमों के अधीन, सूचना दाखिल करने को बाध्य व्यक्ति का कोई अन्य अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी द्वारा संव्यवहार का मूल्य युक्तियुक्त निश्चितता के साथ स्थापित न किया जा सके, तो संव्यवहार का मूल्य, अधिनियम की धारा 5 के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक माना जा सकेगा;

(ज) निदेशक मंडल या इन विनियमों के अधीन, सूचना दाखिल करने को बाध्य व्यक्ति का कोई अन्य अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का, उसके अनुमोदन में उसके द्वारा लेखबद्ध प्राक्कलन, सर्वोत्तम प्राक्कलन होगा। यदि प्राक्कलन, निदेशक मंडल या सूचना दाखिल करने को बाध्य व्यक्ति का कोई अन्य अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन में लेखबद्ध नहीं किया जाता है, तो अधिकतम संदेय रकम, सर्वोत्तम प्राक्कलन मानी जाएगी।

(2) अधिनियम की धारा 5 के खंड (घ) के परंतुक के प्रयोजन के लिए, उसमें निर्दिष्ट उद्यम, भारत में सारवान कारबार प्रचालन करने वाला उद्यम समझा जाएगा, यदि:

(क) उपबंधित डिजिटल सेवाओं के लिए, भारत में उसके कारबार उपयोक्ताओं या आखिरी (end) उपयोक्ताओं की संख्या, उसकी ऐसे उपयोक्ताओं की कुल वैश्विक संख्या का 10% या इससे अधिक है; या

(ख) भारत में सुसंगत तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के लिए उसका सकल वाणिज्या मूल्य है:

(i) उसके कुल वैश्विक सकल वाणिज्या मूल्य का 10% या इससे अधिक, और

(ii) पाँच सौ करोड़ रुपये से अधिक; या

(ग) भारत में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसका आवर्त है:

(i) सभी उत्पादों और सेवाओं से व्युत्पित उसके कुल वैश्विक आवर्त का 10% या उससे अधिक, और

(ii) पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक।

स्पष्टीकरण 1. — इस उपविनियम के खंड (ख) के उपखंड (ii) और खंड (ग) के उपखंड (ii) डिजिटल सेवाओं पर लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण 2. — इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए,

(क) "सकल वाणिज्या मूल्य" से या तो किसी उद्यम द्वारा, स्वयं पर या किसी अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, मालों के विक्रय और/या सेवाओं के उपबंध के लिए नकद, प्राप्य या सुविधा प्रदान करने वाला अन्य प्रतिफल अभिप्रेत है;

(ख) जहां किसी उद्यम या प्रभाग या कारबार के हिस्से का अर्जन किया जा रहा है, उसका नियंत्रण लिया जा रहा है, उसका विलयन या समामेलन किया जा रहा है वहां उसके कारबार उपयोक्ताओं या आखिरी (end) उपयोक्ताओं की संख्या, कथित हिस्से या प्रभाग या इसका माने जाने वाला कारबार का सकल वाणिज्या मूल्य या आवर्त, यथा लागू, सुसंगत कारबार उपयोक्ता या आखिरी (end) उपयोक्ता, सकल वाणिज्या मूल्य या आवर्त होगा;

(ग) सुसंगत तारीख से तीन सौ पैंसठ पूर्ववर्ती दिवसों के लिए कारबार उपयोक्ताओं या आखिरी (end) उपयोक्ताओं के अनुपात की, ऐसे उपयोक्ताओं की औसत संख्या के आधार पर संगणना की जाएगी;

(घ) डिजिटल सेवा से इंटरनेट के माध्यम से सेवा या डिजिटल अंतर्वस्तु के एक या उससे अधिक अंश, या कोई अन्य गतिविधि का उपबंध अभिप्रेत है चाहे वह यथास्थिति, आखिरी उपयोक्ता या कारबार उपयोक्ता को प्रतिफल या अन्यथा के लिए हो;

(ड.) कारबार उपयोक्ता से डिजिटल सेवाओं के उपयोग द्वारा सहित, माल या सेवाएं प्रदाय करने वाला या उपलब्ध कराने वाला कोई प्रकृत या विधिक व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) आखिरी उपयोक्ता से कोई ऐसा प्रकृत या विधिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो कारबार उपयोक्ता से भिन्न, सूचनात्मक या संव्यवहारात्मक प्रयोजन से डिजिटल सेवाओं का उपयोग करता है।

5. प्रस्तावित संयोजन के लिए सूचना का प्ररूप.

(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) या अधिनियम की धारा 6क के खंड (क) के अधीन सूचना, सामन्यत: इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप I में दाखिल की जाएगी, जो सम्यक रूप से भरा होगा और जिसके साथ अपेक्षित फीस के संदाय का साक्ष्य भी लगा होगा।

(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वह व्यक्ति जिसे सूचना देना अपेक्षित है, अपने विकल्प पर, इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप II में सूचना दे सकेगा, अधिमानत: ऐसी अवस्था में जहां -

(क) संयोजन के पक्षकार एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय मालों के उत्पादन या प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार या एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय सेवाओं के उपबंध में लगे हुए हैं और ऐसे संयोजन के पश्चात, कोई भी सुसंगत बाजार में, संयोजन के पक्षकारों का संयुक्त बाजार शेयर पंद्रह प्रतिशत (15%) से अधिक है;

(ख) संयोजन के पक्षकार मालों या सेवाओं के उपबंध में उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार के संबंध में भिन्न-भिन्न बाजारों में उत्पादन श्रृंखला के भिन्न-भिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर लगे हुए हैं और ऐसे संयोजन के पश्चात, कोई भी सुसंगत बाजार में, संयोजन के पक्षकारों का संयुक्त बाजार शेयर पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक है।

(3) वह व्यक्ति जिसे सूचना देना अपेक्षित है, इन विनियमों की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दष्ट, समय-समय पर आयोग द्वारा जारी और उसकी शासकीय वेबसाइट में प्रकाशित प्ररूप I और प्ररूप II के टिप्पण के अनुसार, यथास्थिति, प्ररूप I और प्ररूप II में सूचना देगा।

(4) इस विनियम के उपविनियम (1) या (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 6क के खंड (क) के अधीन सूचना, विनियमित स्टॉक एक्सचेंज पर संव्यवहार की श्रृंखला के माध्यम से, खुली प्रस्थापना या विभिन्न विक्रेताओं से अन्य प्रतिभूतियों में संपरिवर्तनीय शेयरों या प्रतिभूतियों का अर्जन के कार्यान्वयन के अनुसरण में शेयरों के प्रथम अर्जन की तारीख से तीस दिवसों के भीतर दी जाएगी जिसके साथ इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट घोषणा और अपेक्षित फीस के संदाय का साक्ष्य भी लगा होगा।

(5) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन सूचना, इन विनियमों की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट प्ररूप I में दाखिल की जाएगी, जो इन विनियमों की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ, सम्यक रूप से भरा होगा और जिसके साथ संयोजन के पक्षकारों द्वारा अपेक्षित फीस के संदाय का साक्ष्य भी लगा होगा।

(6) उपविनियम (1) के उपबंधों को ध्यान रखते हुए, ऐसी दशा में, जहां पक्षकारों ने प्ररूप I में सूचना दाखिल की है और आयोग में प्रथमदृष्टया राय बनाने के लिए प्ररूप II में जानकारी अपेक्षित है कि क्या संयोजन के कारण सुसंगत बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वहां वह ऐसे व्यक्ति को जिसे सूचना देना अपेक्षित है इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप II सूचना देने का निदेश देगा:

परंतु यह कि प्ररूप I में सूचना देते समय पहले से संदत्त फीस, यदि आयोग के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से पैंतालीस दिवस की कालावधि के भीतर दी जाती है तो वह फीस प्ररूप II के लिए संदेय फीस में समायोजित कर दी जाएगी।

(7) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) में 'निदेशक मंडल' के प्रतिनिर्देश से निम्नलिखित अभिप्रेत होंगे और उसमें सम्मिलित होंगे,—

(क) व्यष्टि स्वयं, जिसके अंतर्गत स्वामित्व वाली फर्म का एकमात्र स्वामी भी है;

(ख) किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) की दशा में कर्ता;

(ग) कंपनी की दशा में निदेशक मंडल;

(घ) किसी केन्द्रीय या राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या व्यक्तियों के किसी संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वे भारत या भारत से बाहर निगमित हैं या नहीं या भारत से बाहर किसी देश की विधियों द्वारा या उसके अधीन निगिमत किसी निगम निकाय या सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रकृत किसी सहकारी

सोसाइटी या किसी स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, कथित निकायों को सृजित करने वाली विधिक लिखत द्वारा सशक्त व्यक्ति या निकाय;

(ङ) किसी फर्म की दशा में, इस प्रकार प्राधिकृत कोई भागीदार;

(च) किसी अन्य कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो किसी भी पूर्ववर्ती उपखंड के अंतर्गत नहीं आता है, वह व्यक्ति या उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए सक्षम कोई अन्य व्यक्ति।

6. स्टॉक एक्सचेंज पर खुली प्रस्थापना और अर्जन की दशा में अधिकारों का प्रयोग.

किसी ऐसे अर्जन की दशा में जिसके संबंध में सूचना अधिनियम की धारा 6क के खंड (क) के अधीन दी जानी अपेक्षित है, वहां अर्जनकर्ता कर सकेगा, —

(क) आर्थिक फायदों का उपभोग जैसे लाभांश या कोई अन्य वितरण, साधिकार निर्गम का अभिदान, बोनस शेयर, स्टॉक-स्पिलिट्स और प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक);

(ख) केवल परिसमापन और/या दिवाला कार्यवाहियों से संबंधित विषयों में मताधिकारों का प्रयोग:

परंतु यह कि अर्जनकर्ता, उसके अस्तित्वों का समूह और उसी समूह का हिस्सा बनने वाले अन्य अस्तित्व, इसमें उनके सहबद्ध भी हैं, उस उद्यम को, जिसके शेयर या प्रतिभूतियां अर्जित की जा रही हैं या उसके कोई सहबद्ध(सहबद्धों) को कोई रीति में, जो भी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

7. गोपनीयता के लिए अनुरोध.

(1) जांच के दौरान प्रस्तुत सूचना या दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए कोई अनुरोध पर आयोग, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 में अधिकथित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सम्यक रूप से विचार करेगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन किसी अनुरोध में, स्पष्ट रूप से कारण, औचित्य और संयोजन के पक्षकारों के कारबार के लिए विविक्षाओं का कथन होगा जिससे कि आयोग द्वारा इस विषय में विनिश्चय लेने के समय, सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार किया जा सके।

8. सूचना दाखिल करने में असफल रहना.

(1) जहां संयोजन के पक्षकार, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) या (4) या अधिनियम की धारा 6क के खंड (क) या अधिनियम की धारा 43क की धारा के परंतुक के अधीन, सूचना दाखिल करने में असफल रहते हैं, वहां आयोग अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन, अपने स्वयं के ज्ञान से या ऐसे संयोजन से संबंधित सूचना के आधार पर, इस बात की जांच कर सकेगा कि क्या ऐसे संयोजन के कारण भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है।

(2) जहां आयोग उपविनियम (1) में निर्दिष्ट कोई जांच प्रारंभ करने का विनिश्चय करता है, वहां आयोग ऐसी शास्ति, जो अधिरोपित की जा सकेगी या ऐसे अभियोजन, जो इस अधिनियम के अधीन प्रारंभ किया जा सकेगा, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस व्यक्ति को, जिसे सूचना देना अपेक्षित है, आयोग द्वारा यथाविनिश्चित, इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप I या प्ररूप II में, सूचना देने का निदेश देगा।

(3) उपविनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना, आयोग से संसूचना की प्राप्ति की तीस दिवसों के भीतर दाखिल की जाएगी।

9. सूचना दाखिल करने की बाध्यता.

(1) किसी उद्यम(उद्यमों) के अर्जन या उसके नियंत्रण के अर्जन की दशा में, अर्जनकर्ता, इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, प्ररूप I या प्ररूप II में सूचना दाखिल करेगा, जिस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 के विनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति(व्यक्तियों) द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किये जाएंगे:

परंतु यह कि ऐसी दशा में, जहां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 के विनियम 11 के उपविनियम (1) के खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा, कंपनी है, वहां कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी प्ररूप I या प्ररूप II में हस्ताक्षर कर सकेगा।

(2) ऐसी दशा में, जहां किसी उद्यम का अर्जन उसकी सहमति के बिना किया जा रहा है, वहां अर्जनकर्ता, अर्जित किये जाने वाले उद्यम के संबंध में उसे उपलब्ध ऐसी जानकारी, इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, प्ररूप I या प्ररूप II में प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि अर्जित किए जाने वाले उद्यम के संबंध में दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी जानकारी, आयोग को सूचना दाखिल करने से दस दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और उस दशा में, जहां अर्जनकर्ता अर्जित किए जाने वाले उद्यम के संबंध में, यथास्थिति, प्ररुप I और प्ररुप II में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, वहां आयोग, अर्जित किए जाने वाले उद्यम को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने निदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे और यथास्थिति, संयोजन के पक्षकारों या अर्जित उद्यम द्वारा अपेक्षित जानकारी, जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, प्रस्तुत करने में लगने वाले समय को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क), धारा 29 की उपधारा (1ख) और धारा 31 की उपधारा (6) में उपबंधित कालावधि से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(3) विलयन या समामेलन की दशा में, संयोजन के पक्षकार संयुक्त रूप से, इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, प्ररुप I और प्ररुप II में सूचना दाखिल करेंगे, जिस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 के विनियम 11 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे:

परंतु यह कि ऐसी दशा में, जहां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 के विनियम 11 के उपविनियम (1) के खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा, कंपनी है, वहां कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी प्ररूप I या प्ररूप II में हस्ताक्षर कर सकेगा।

(4) जहां किसी कारबार संव्यवहार के अंततोगत्वा आशयित प्रभाव की पूर्ति प्रकमों की एक श्रृंखला द्वारा या ऐसे छोटे-छोटे व्यष्टिक संव्यवहारों द्वारा होती है, जो एक दूसरे से अंत:संबंधित हैं और जिनमें से एक या अधिक को संयोजन समझा जा सकता है, वहां इन सभी संव्यवहारों को सम्मिलित करते हुए संयोजन के पक्षकारों द्वारा एकल सूचना दाखिल की जा सकेगी।

(5) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन सूचना दाखिल करने की अपेक्षा, संव्यवहार के उपादान और संव्यवहार(संव्यवहारों) की कोई संरचना के संबंध में अवधारित की जाएगी, जिसका प्रभाव संपूर्ण संयोजन या उसके किसी भाग के संबंध में सूचना से बचने का हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

10. फीस संदाय करने की बाध्यता.

(1) इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन सूचना दाखिल करने वाला व्यक्ति या उद्यम, इन विनियमों के विनियम 11 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा।

(2) जहां सूचना संयुक्त रूप से दाखिल की जाती हैं वहां फीस संयुक्त रूप से या पृथक रूप से संदेय होगी।

11. फीस की रकम.

इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, प्ररूप I या प्ररूप II में की गई सूचना के साथ संदेय फीस की रकम निम्नानुसार होगी, —

(क) जहां सूचना प्ररूप I में दाखिल की जाती है, वहां संदेय फीस की रकम तीस लाख रुपये मात्र होगी;

(ख) जहां सूचना प्ररूप II में दाखिल की जाती है, वहां संदेय फीस की रकम नब्बे लाख रुपये मात्र होगी।

12. संदाय की पद्धति.

फीस का संदाय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि), नई दिल्ली के पक्ष में संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, संदाय आदेश या बैंकर चेक प्रस्तुत करके या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि), "पंजाब नेशनल बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066" के खाता संख्यांक 1988002100187687 में सीधे प्रेषण द्वारा इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के माध्यम से किया जा सकेगा।

13. सूचना दाखिल करने की प्रक्रिया.

(1) इन विनियमों के 5 या विनियम 8 के आधीन सम्यक रूप से भरी गई और सत्यापित सूचना, उसकी एक प्रति और उसके एक इलेक्ट्रिानिक पाठ के साथ आयोग को, उसकी शासकीय वेबसाइट पर प्रकाशित पते पर परिदत्त की जाएगी:

परंतु यह कि वह व्यक्ति जिसे सूचना देना अपेक्षित है, इन विनियमों के विनियम 7 के उपविनियम (1) के अधीन सूचना या दस्तावेज(दस्तावेजों) की गोपनीयता के लिए अनुरोध करता है, तो ऐसा अनुरोध, सूचना के लोक पाठ में सम्यक रूप से भरा गया और उसके एक इलेक्ट्रानिक पाठ के साथ, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार दाखिल किया जा सकेगा।

(2) संयोजन का संक्षिप्त ब्यौरा, जिसमें गोपनीय जानकारी अंतर्विष्ट न हो, जो 1000 शब्दों से अधिक न हो, जिसमें इस बारे में ब्यौरे सम्मिलित हों: (क) संयोजन के पक्षकरों का नाम; (ख) संयोजन की प्रकृति और प्रयोजन; (ग) संयोजन के पक्षकारों के उत्पाद, सेवाएँ और कारबार; और (घ) संबंधित बाजार, जहां संयोजन के पक्षकार प्रचालन करते हैं, को इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के प्रयोजन से दाखिल किया जाएगा।

(3) सचिव इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अनुसार दी गई सूचना की प्राप्ति की अभिस्वीकृति जारी करेगा।

(4) इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन सूचना दाखिल करने के परिणामस्वरूप, आयोग के समक्ष दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी प्रत्युत्तर और अन्य दस्तावेज, उपविनियम (1) के अंतर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार दाखिल किए जाएंगे:

परंतु यह कि इस विनियम के प्रयोजन के लिए, सचिव लोक उद्घोषणा के माध्यम से इलेक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए प्रक्रिया, प्रस्तुत की जाने वाली प्रतियों की संख्या में वृद्धि या कमी या उस प्ररूप में, जिसमें इलेक्ट्रानिक पाठ दाखिल किया जाना है, अंतर करने की सूचना दे सकेगा।

(5) अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (2) और (4), अधिनियम की धारा 6क के खंड (क), और इन विनियमों के विनियम (8) के उपविनियम (2) के अधीन सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जा सकेगी जब आयोग द्वारा इसके लिए सुविधा उपलब्ध करा दी जाए।

14. सूचना की संवीक्षा और जांच.

(1) इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन दाखिल की गई सूचना, तब तक विधिमान्य और पूर्ण नहीं होगी जब तक कि वह इन विनियमों के अनुरूप न हो।

(2) जहां इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन सूचना में अंतर्विष्ट जानकारी या इन विनियमों के अनुसरण में दाखिल प्रत्युत्तर किसी भी रूप में अपूर्ण हैं, वहां संयोजन के पक्षकारों को, दस्तावेज(दस्तावेजों) सहित अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

परंतु यह कि संयोजन के पक्षकारों को सूचना में त्रुटियों की संसूचना, सूचना प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के भीतर दे दी जाएगी।

(3) पक्षकार, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर, उपविनियम (2) में यथा निर्दिष्ट निदेशों का पालन करेंगे और सूचना को ऐसे अनुपालन की तारीख को विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन दी गई सूचना ही समझा जाएगा।

(4) जहां आयोग यह पाता है कि उसे अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित है वहां आयोग, संयोजन के पक्षकारों को ऐसी अतिरिक्त सूचना दाखिल करने का निदेश दे सकेगा।

(5) उपविनियम (4) के अधीन निदेशों का, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन किया जाएगा और इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन दाखिल की गई सूचना की दशा में, दस्तावेज(दस्तावेजों) सहित अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में लिए गए समय को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क), धारा 29 की उपधारा (1ख) और धारा 31 की उपधारा (6) में दी गई कालावधि से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(6) सचिव, उपविनियम (2), (3) और (4) में यथानिर्दिष्ट संसूचना की तामील का सबूत अभिलेख पर रखेगा।

(7) विनिर्दिष्ट समय के भीतर, त्रुटियां दूर करने या दस्तावेज(दस्तावेजों) सहित अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में, इन विनियमों विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन दी गई सूचना, विधिमान्य सूचना के रूप में नहीं मानी जाएगी:

परंतु यह कि आयोग, सूचना को अविधिमान्य करने का विनिश्चय करने से पूर्व, संयोजन के पक्षकारों को इन विनियमों के विनियम 23 के अनुसार सुनवाई का अवसर दे सकेगा:

परंतु यह और कि आयोग, कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात, इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन दी गई सूचना को अविधिमान्य कर सकेगा जब आयोग के संज्ञान में यह आता है

कि ऐसी सूचना उपविनियम (1) के अनुसार वैध नहीं है और, ऐसी दशा में, सचिव, सूचना देने वाले व्यक्ति को, आयोग के विनिश्चय की सूचना, ऐसे विनिश्चय के सात दिवसों के भीतर प्रेषित करेगा:

परंतु यह और कि इस विनियम के अधीन कार्यवाही आरंभ होने से सूचना की विधिमान्यता के बारे में आयोग के विनिश्चय तक के बीच की कालावधि को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क), धारा 29 की उपधारा (1ख) और धारा 31 की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट कालावधि से अपवर्जित कर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां अविधिमान्यकरण के पश्चात सूचना पुन: दी जाती है वहां पहले से ही संदत्त फीस, नई सूचना के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीस में समायोजित कर दी जाएगी यदि ऐसी सूचना आयोग के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से पैंतालीस दिवसों की कालावधि के भीतर दी गई हो।

(8) जहां आयोग यह आवश्यक समझे, वहां वह कोई अन्य व्यक्ति से सूचना मांग सकेगा कि क्या संयोजन से भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है:

परंतु यह कि ऐसे व्यक्ति(व्यक्तयों) से सूचना अभिप्राप्त करने में लिया गया समय, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क), धारा 29 की उपधारा (1ख) और धारा 31 की उपधारा (6) में दिये गये समय से अपवर्जित कर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां आयोग इस उपविनियम के अधीन सूचना की मांग करता है वहां सचिव, सूचना देने वाले व्यक्ति को इसकी संसूचना देगा।

15. किसी परिवर्तन की संसूचना.

(1) इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन सूचना देने वाला व्यक्ति, आयोग को दी गई सूचना में प्रदान की गई जानकारी में कोई परिवर्तन की, विनियम 13 के उपविनियम (3) के अधीन सचिव द्वारा पावती जारी करने की तारीख से दस कार्यदिवसों के भीतर आयोग को सूचना देगा।

(2) सचिव, सूचना में किसी परिवर्तन से संबंधित जानकारी, आयोग के समक्ष रखेगा।

(3) आयोग, उस परिवर्तन से संबंधित सूचना के महत्व का मूल्यांकन करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है तो वह प्राप्त जानकारी को अभिलेख पर लेगा:

(4) जहां आयोग यह विचार बनाता है कि परिवर्तन से प्रतिस्पर्धा पर महत्वपूर्ण रूप से पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव का अवधारण करने के कारकों पर, प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात, पहले से दाखिल सूचना को विधिमान्य नहीं मानेगा।

(5) जहां आयोग ने किसी सूचना को उपविनियम (4) के अधीन विधिमान्य अभिनिर्धारित नहीं किया है, वहां सचिव, सूचना देने वाले व्यक्ति को, आयोग के विनिश्चय के सात दिवसों के भीतर आयोग के विनिश्चय की सूचना प्रेषित करेगा:

परंतु यह कि पहले से ही संदत्त फीस, नई सूचना के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीस में समायोजित कर दी जाएगी यदि ऐसी सूचना आयोग के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से पैंतालीस दिवसों की कालावधि के भीतर दी गई हो।

16. सूचना का प्रत्याहरण और पुन: दाखिल करना.

(1) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व किसी समय पर आयोग, सूचना देने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर, इन विनियमों के विनियम 5 और विनियम 8 के अधीन दी गई सूचना के प्रत्याहरण की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) विनियम (1) के अधीन सूचना के प्रत्याहरण के दशा में, ऐसी सूचना के संबंध में पहले से ही संदत्त फीस, नई सूचना के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीस में समायोजित कर दी जाएगी यदि नई सूचना प्रत्याहरण की तारीख से पैंतालीस दिवसों के भीतर दी गई हो।

17. कार्यवाहियों की समाप्ति.

संयोजन के संबंध में इस विनियम के अधीन कार्यवाहियां, निम्नलिखित दशाओं में समाप्त कर दी जाएगी,—

(क) सूचना दाखिल करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) या उद्यम(उद्यमों) द्वारा इस प्रभाव की संसूचना प्राप्त होने पर कि प्रस्तावित संयोजन प्रभावी नहीं होगा;

(ख) आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 31 के अधीन कोई आदेश पारित किये जाने पर:

परंतु यह कि यदि संयोजन में उपांतरण करने वाले संयोजन के पक्षकारों पर आयोग का अनुमोदन सशर्त है, तो इन नियमों के विनियमन 26 के अधीन आयोग द्वारा अनुपालन रिपोर्ट के प्रतिग्रहण पर कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

18. सूचना(सूचनाओं), आदि की तामील की पद्धति.

इस अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन विनियमों के अधीन किसी व्यक्ति या उद्यम को कोई सूचना या संसूचना की तामील, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 के विनियम 22 में यथाउपबंधित रीति में या इलेक्ट्रानिक प्रेषण, जो आयोग उचित समझे, द्वारा की जाएगी।

19. महाहिनदेशक से रिपोर्ट मांगना.

(1) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर की प्राप्ति के पश्चात, आयोग, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1क) के अधीन, आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर, महानिदेशक से रिपोर्ट मांगने का विनिश्चय कर सकेगा।

(2) सचिव, उपविनियम (1) के अधीन आयोग के निदेश, अन्य सभी दस्तावेज, सामग्री, शपथपत्र, विवरण जो दाखिल किए गए हैं या अन्यथा जो कथित सूचना के साथ उपलब्ध हैं और अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना की प्रति और उसके प्रत्युत्तर के साथ महानिदेशक को प्रेषित करेगा।

20. महाहिनदेशक द्वारा रिपोर्ट.

(1) महानिदेशक अपनी रिपोर्ट में, अन्वेषण के दौरान एकत्रित सभी साक्ष्यों या दस्तावेजों या विवरणों और उनके विश्लेषण के साथ उसके निष्कर्षों के आधार को सम्मिलित करेगा।

(2) महानिदेशक की रिपोर्ट की दो प्रतियां, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर महानिदेशक या उसके प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, दस्तावेज प्ररूप में उसके इलेक्ट्रानिक पाठ के साथ आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सचिव को अग्रेषित की जाएगी:

परंतु यह कि सचिव रिपोर्ट की प्रतियों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकेगा और उसके इलेक्ट्रानिक प्रेषण की अनुमति भी दे सकेगा।

21. संयोजन के ब्यौरे का प्रकाशन.

(1) जहां अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन आयोग की *प्रथमदृष्टया* यह राय है कि संयोजन के कारण भारत के सुसंगत बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है, वहां सचिव, सूचना देने वाले व्यक्ति को आयोग के निदेश की सूचना प्रेषित करेगा जो ऐसे निदेश के सात दिवसों के भीतर संयोजन के ब्यौरे प्रकाशित करेगा।

(2) पक्षकारों द्वारा संयोजन के ब्यौरे का प्रकाशन इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप III में किया जाएगा।

(3) पक्षकार उपविनियम (2) के अधीन प्रकाशित किए जाने जाने वाले संयोजन के ब्यौरे, उसके प्रकाशन से पूर्व आयोग को प्रस्तुत करेंगे और आयोग उन्हें अपनी शासकीय वेबसाइट पर रख सकेगा।

(4) पक्षकार, उपविनियम (2) के अधीन प्रकाशित किए जाने वाले संयोजन के ब्यौरे, उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के अपश्चात, अपनी वेबसाइटों पर भी रखेंगे।

(5) पक्षकार, उपविनियम (2) के अधीन संयोजन के ब्यौरों का प्रकाशन, उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के अपश्चात, 4 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, जिसके अंतर्गत दो कारबार समाचार पत्र भी होंगे, के अखिल भारतीय संस्करणों में करेंगे।

22. प्रकाशन का सबूत.

सूचना देने वला व्यक्ति, इन विनियमों के विनियम 21 में निर्दिष्ट प्रकाशन की प्रतियां, संयोजन के ब्यौरे के प्रकाशन की तारीख से दो दिवसों के अपश्चात, सचिव को प्रस्तुत करेगा।

23. आयोग के समक्ष पक्षकारों का उपसंजात होना.

जहां आयोग, अपनी जांच के दौरान किसी भी समय पर, संयोजन के पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर देना आवश्यक समझता है, वहां सचिव, कथित पक्षकारों को उसके समक्ष प्रस्तुत होने के निदेशों की संसूचना देते हुए आयोग द्वारा यथानिदेशित तारीख और समय की सूचना जारी करेगा:

पंरतु यह कि सूचना जारी करने की तारीख और उसमें नियत सुनवाई की तारीख के बीच की कालावधि, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क), धारा 29 की उपधारा (1ख) और धारा 31 की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट कालावधि से दस दिनों से अनधिक, अपवर्जित कर दी जाएगी:

पंरतु यह और कि यदि संयोजन के पक्षकार, आयोग के समक्ष उपसंजात होने में अतिरिक्त समय की मांग करते हैं तो ऐसा समय, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क), धारा 29 की उपधारा (1ख) और धारा 31 की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट कालावधि से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

24. आक्षेपों का कथन.

अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्रक्रिया पूर्ण होने पर, जहां आयोग की यह राय है कि संयोजन से प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है और अधिनियम की धारा 29क की उपधारा (1) के अधीन आक्षेपों का कथन जारी करने का विनिश्चय करता है, वहां सचिव, उस व्यक्ति को जिसने सूचना दी है, चार दिवसों के भीतर, आक्षेपों के कथन की संसूचना देगा।

25. प्रस्तावित संयोजन में उपांतरण.

(1) जहां आयोग, या तो अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (7) के अधीन या अधिनियम की धारा 29क की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उपांतरण का प्रस्ताव करने विनिश्चय करता है, वहां सचिव, सूचना देने वाले व्यक्ति को सात दिवसों के भीतर, आयोग के प्रस्ताव की संसूचना देगा और ऐसा व्यक्ति, आयोग का प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से पांच दिवसों के भीतर, लिखित में, इसका प्रतिग्रहण या अप्रतिग्रहण प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि आयोग के प्रस्ताव की संसूचना में लगा सात दिवस से अनधिक समय, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1ख) में उपबंधित कालावधि से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

परंतु यह और कि सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रतिग्रहण या अप्रतिग्रहण के लिए लिया गया समय, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क), धारा 29 की उपधारा (1ख) और धारा 31 की उपधारा (6) में उपबंधित कालावधि से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (7) या धारा 29क की उपधारा (2) या (3) के अधीन संयोजन के पक्षकारों द्वारा प्रस्थापित उपांतरण,इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दष्ट प्ररूप IV में दाखिल किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (7) के अधीन उपांतरण, विनियम 13 के उपविनियम (3) के अधीन सचिव द्वारा जारी अभिस्वीकृति की तारीख से दस कार्यदिवसों के भीतर या इन विनियमों के विनियम 14 के उपविनियम (2) के अधीन जारी संसूचना के प्रत्युत्तर के साथ, जो भी बाद में हो, प्रस्थापित किया जाएगा।

(4) संयोजन के पक्षकार, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना पर, ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिवसों के भीतर, कथित सूचना में *प्रथम दृष्टया* चिंताओं को दूर करने के अपने प्रत्युत्तर के साथ प्ररूप IV में उपांतरण की प्रस्थापना कर सकेंगे और उस आधार पर, आयोग अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे सकेगा।

(5) जहां आयोग, उपांतरण के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन संयोजन का अनुमोदन करता है, वहां संयोजन के पक्षकार, निबंधन और शर्तों के अनुसार, ऐसी कालावधि के भीतर जो आयोग अपने आदेश में विनिर्दिष्ट करे, ऐसे उपांतरण कारित करेगा।

(6) जहां आयोग ने उपांतरण के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन संयोजन अनुमोदित कर दिया है और जहां संयोजन के पक्षकार, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, उपांतरण कारित करने में विफल रहता है, वहां आयोग, पक्षकारों के उपांतरण कारित करने में विफल रहने के आयोग द्वारा अवधारित तारीख से तीस दिवसों से अनधिक समय के भीतर, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (5) के उपखंड (ख) के अधीन कोई आदेश जारी करेगा।

26. पक्षकारों द्वारा उपांतरण कारित करने का अनुपालन.

(1) संयोजन के पक्षकार, उपांतरण पूर्ण होने पर, ऐसे पूर्ण होने के सात दिवसों के भीतर, अधिनियम की धारा 31 के अधीन आयोग के आदेश के निबंधन और शर्तों के अनुसार, उपांतरण के अनुपालन के शपथपत्र के साथ, सचिव के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

(2) जहां उपांतरण का आवधिक अनुपालन अपेक्षित है, वहां संयोजन के पक्षकार, आयोग के आदेश के अनुसार आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(3) ऐसी दशा में जहां संयोजन के पक्षकार, इस विनियम के उपविनियम (1) या (2) के अधीन रिपोर्ट दाखिल करने में असफल रहते हैं, वहां सचिव ऐसे अननुपालन के विषय को उपयुक्त निदेश के लिए आयोग के समक्ष रखेगा।

27. उपांतरण के पर्यावलोकन के लिए स्वतंत्र अभिकरणों की नियुक्ति.

जहां आयोग की यह राय है कि प्रस्तावित संयोजन में उपांतरणों के कार्यान्वयन में पर्यवेक्षण की आवश्यकता है, वहां वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 के निबंधनों के अनुसार और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आयोग विनिर्दिष्ट करे, ऐसे उपांतरणों के पर्यवेक्षण के लिए अभिकरण नियुक्त कर सकेगा।

28. आयोग के आदेश.

(1) जहां आयोग अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) या (2) या (3) या (5) के अधीन कोई आदेश पारित करने का विनिश्चय करता है, वहां सचिव, सूचना देने वाले व्यक्ति को, ऐसे विनिश्चय के सात दिवसों के भीतर आयोग का विनिश्चय संसूचित करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 57 के उपबंधों और इन विनियमों के विनियम 31 के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 31 के अधीन आयोग द्वारा पारित आदेशों को उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

29. अभिभावी प्रभाव.

इन विनियमों के उपबंधों का प्रभाव, अधिनियम के अधीन विरचित किन्हीं अन्य विनियमों में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी संयोजन से संबंधित सभी विषयों पर होगा।

30. अन्य अभिकरणों या कानूनी प्राधिकारियों से सहयोग.

जहां आयोग ऐसा करना उचित समझे, वह संयोजन के संबंध में अन्य अभिकरण या कानूनी प्राधिकारी की राय प्राप्त कर सकेगा।

31. कठिनाइयों का निवारण.

इन विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के विषय में, यदि कोई संदेह या कठिनाई उद्भूत होती है तो उसे आयेाग के समक्ष रखा जाएगा और उस पर आयोग का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

32. निदेश जारी करने की शक्ति.

अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आयोग, समय-समय पर, अपने कर्तव्यों के निवर्हन में संयोजन के विनियमन के लिए साधारण या क्षेत्र विनिर्दिष्ट निदेश, मार्गदर्शी सिद्धांत, स्पष्टीकरण या परिपत्र जारी कर सकेगा।

33. निरसन और व्यावृत्तियां.

(1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011, उस तारीख से निरस्त हो जाएंगे जिस तारीख को ये विनियम प्रवृत्त होंगे:

परंतु यह कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 के उपबंध, जैसा कि वे इन विनियमों के प्रवृत्त होने से अव्यवहित की तारीख पर थे, इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व, अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन दी गई सूचना(सूचनाओं) को लागू रहना जारी रहेंगे।

(2) ऐसे निरसन में कुछ भी होते हुए भी–,

(क) ऐसे निरसन से पूर्व, निरसित किये गये विनियमों के अधीन, एकत्रित फीस, कोई कार्यवाहियां, विनिश्चय, प्रारंभ की गई जांच या अन्वेषण या कारण बताओ सूचना सहित किया गया कुछ भी या की गई या किया जाना या की जाने वाली या की गई तात्पर्यित कोई कार्रवाई ऐसे अप्रभावित रहेंगे जैसे कि निरसित किए गए विनियम कभी निरसित ही न किए

गए हों;

(ख) निरसित विनियमों का प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक रूप से किया गया या भुक्त कुछ भी, अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार अप्रभावित रहेंगे मानो निरसित विनियम कभी निरसित ही न किए गए हों।

34. संक्रमण उपबंध

सुसंगत तारीख में कुछ भी होते हुए भी, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2), धारा 6 की उपधारा (4), और धारा 6क के उपबंध, किसी उद्यम के किसी नियंत्रण, शेयर, मताधिकार या आस्ति के अर्जन, विलयन या समामेलन पर लागू होंगे जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रभावी होते है:

परंतु यह कि ऐसा अर्जन, विलयन या समामेलन अन्यथा अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों का समाधान करता हो और उस तारीख को यथालागू जिस तारीख को ये विनियम प्रवृत्त होते हैं, इन विनियमों के उपबंध या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन छूट न दी गई हो:

परंतु यह और कि यदि इसकी आयोग को पूर्वतन सूचना देना अपेक्षित नहीं था तो अधिनियम की धारा 43क के उपबंध ऐसे अर्जन, विलयन या समामेलन के ऐसे किसी भाग के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व प्रवृत्त हो चुके हों।

अनुसूची I

प्ररूप I

[विनियम 5(1) देखिए)]

पंजीकरण सं.: (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा नियत किया जाए)

सूचना देने वाले पक्षकार(पक्षकारों) द्वारा भरी जाने वाली अपेक्षित जानकारी

भाग I: आधारिक सूचना

1. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के संबंध में जानकारी:

   1.1 संयोजन के पक्षकार का विधिक नाम:

   1.2 संयोजन के पक्षकारों की विधिक स्थिति (कंपनी/फर्म/एलएलपी/न्यास आदि):

   1.3 निगम/सृजन की अधिकारिता:

   1.4 रजिस्ट्रीकरण संख्याक (यदि लागू हो):

   1.5 पूर्ण रजिस्ट्रीकृत पता/प्रधान कारबार का पता:

   1.6 संयोजन के पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और उसका संपर्क पता (ईमेल का पता/ टेलीफोन नं./ मोबाइल नं., देश/नगर/क्षेत्र के कोड सहित):

   1.7 भारत में पूर्ण पता और संपर्क का ब्यौरा:

   1.8 वेबसाइट का पता:

   1.9 संयोजन के पक्षकारों के क्रियाकलाप का सुसंगत चार अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण:

   1.10 फाइलिंग पूर्व परामर्श की तारीख, यदि कोई हो:

भाग II: फीस संदाय का सबूत

[विनियम 11 का खंड (क) देखिए)]

2. जमा की गई फीस की विशिष्टियां

भाग III: संसूचना के बारे में प्राधिकार

3. भारत में अवस्थित ऐसे व्यष्टि(व्यष्टियों) का नाम, पूर्ण पता और संपर्क ब्यौरा जो सूचना देने वाले पक्षकार(पक्षकारों) की ओर से संसूचना(संसूचनाओं) को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।

भाग IV: अवसीमाओं के कार्यवृत्त

[अधिनियम की धारा 5 देखिए)]

4. संव्यवहार के वित्तीय ब्यौरे और मूल्य

4.1 संयोजन के पक्षकारों की आस्तियों और आवर्त के ब्यौरे निम्नलिखित प्ररूप में दें:

पक्षकारों का नाम	आस्तियां (_____की स्थिति के अनुसार)			आवर्त (वित्तीय वर्ष ____के लिए)		
	भारत में (करोड़ रुपये में)	विश्व भर में		भारत में (करोड़ रुपये में)	विश्व भर में	
		अमरीकी डॉलर (मिलियन)	रुपये (करोड़)		अमरीकी डॉलर (मिलियन)	रुपये (करोड़)
पक्षकार 1						
पक्षकार 2						
संयोजित						

4.2 अधिनियम की धारा 5(घ) के अधीन आने वाले और इन विनियमों के विनियम 4 के उपविनियम (2) के अधीन विहित मानदंड को पूरा करने वाले संयोजनों के लिए संव्यवहार का मूल्य;

भाग V: संयोजन का वर्णन

5. निम्नलिखित के बारे में जानकारी देते हुए संयोजन का वर्णन करें:

5.1 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) या धारा 6क के अनुसरण में अधिसूचित संयोजन की व्याप्ति करार (करारों) के अधीन, यथा लागू, सुसंगत खंड के प्रतिनिर्देश के साथ):

5.1.1 यथास्थिति, अर्जन या विलयन या समामेलन के ब्यौरे, धारा 5 के सुसंगत खंड के प्रतिनर्देश के साथ;

5.1.2 कोई अन्य संव्यवहार जो इन विनियमों के विनियम 9 के उपविनियम (4) और/या (5) के निबंधनों के अनुसार अंत:संबंधित है या हैं; और

5.1.3 उपर्युक्त 5.1.1 और 5.1.2 में निर्दिष्ट संव्यवहार(संव्यवहारों) के साथ संबंध का या में अर्जित या उद्भूत अधिकार।

5.2 संयोजन को प्रभाव देने के प्रक्रम के साथ संयोजन के प्रत्येक प्रक्रम(प्रक्रमों) के लिए समयसीमा।

5.3 संयोजन के आर्थिक और नीतिगत प्रयोजन (जिसके अंतर्गत संयोजन के प्रत्येक पक्षकारों के लिए कारबार उद्देश्य और औचित्य और वह रीति भी है जिसमें वे उसे पाए जाने के लिए आशयित हैं)

5.4 प्रस्तावित संयोजन का मूल्य।

5.5 संयोजन के परिणामस्वरूप विदेशी विनिधान (एफडीआई, एफपीआई आदि, यदि कोई हो, रुपये में) और मूल देश

5.6 भारत से भिन्न अधिकारिताओं में फाइलिंग अपेक्षाएं और उसकी स्थिति।

5.7 संयोजन से संबंधित कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

भाग VI: संयोजन के पक्षकारों के क्रियाकलापों और क्षेत्र का सिंहावलोकन

6. संयोजन के प्रत्येक पक्षकारों के संबंध में ब्यौरे:

6.1 उस समूह का नाम जो संयोजन के पक्षकारों से संबंध रखता है।

6.2 संयोजन के प्रत्येक पक्षकारों के लिए, निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरा दें:

6.2.1 भारत में अस्तित्व और भारत में विद्यमानता (उदाहरण के लिए, विक्रय कार्यालय, कारखाना, संपर्क कार्यालय, शाखा कार्यालय, फ्रेंचाइजी या भारत से बाहर कोई अस्तित्व के माध्यम से, आदि)

6.2.2 भारत में प्रयुक्त व्यापार का नाम, कारबार का नाम और ब्रांड का नाम;

6.2.3 विश्व भर में और भारत में क्रियाकलापों का सिंहावलोकन, यथा लागू।

6.3 संयोजन के पक्षकारों के उत्पादों (विनिर्मित, प्रदायित, वितरित, और/या विक्रीत) और/या प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची/ब्यौरे।

6.4 **अनुप्रस्थ अंशछादन** – सभी सत्याभाषी अनुकल्प(अनुकल्पों) पर विचार करते हुए, कृपया कथन करें कि क्या संयोजन के पक्षकार और/या उनके संबंधित समूह अस्तित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करते हैं/प्रदान करते हैं:

हां ☐ नहीं ☐

यदि उत्तर हां है तो जानकारी प्रस्तुत करें [प्रत्येक सत्याभाषी अनुकल्प सुसंगत बाजार के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए]:

6.4.1 सभी सत्याभाषी अनुकल्प(अनुकल्पों) पर विचार करते हुए, अंशछादन उत्पादों/सेवाओं और सुसंगत उत्पाद और सुसंगत भौगोलिक बाजार के ब्यौरे के साथ सुसंगत उत्पाद और सुसंगत भौगोलिक बाजार के प्रत्येक सत्याभाषी अनुकल्प का प्रतिग्रहण करने और प्रतिक्षेपण करने की व्याख्या;

6.4.2 विक्रय मूल्य (रुपये में) और मात्रा (यूनिट में) के निबंधनों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के लिए प्राक्कलन का सुसंगत स्रोत और आधार, बाजार का कुल आकार उपदर्शित करने वाला प्राक्कलन;

6.4.3 संयोजन के प्रत्येक पक्षकार (जिसके अंतर्गत उनके सुसंगत समूह अस्तित्व भी हैं) का, पिछले तीन वर्षों के लिए बाजार शेयर(शेयरों) के प्राक्कलन के साथ विक्रय के मूल्य (रुपये में) और मात्रा (यूनिट में) ;

6.4.4 पांच सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों (पिछले तीन वर्षों के लिए उनके बाजार शेयर के साथ), ग्राहकों और प्रदायकर्ताओं के नाम और संपर्क ब्यौरे।

6.5 **लंबवत और संपूरक क्रियाकलाप:** सभी सत्याभाषी अनुकल्प(अनुकल्पों) और/या किन्हीं संपूरक क्रियाकलापों पर विचार करते हुए, कृपया कथन करें कि क्या संयोजन के पक्षकार और/या उनके संबंधित समूह अस्तित्व में से कोई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय और सेवा या व्यापार या सेवाओं के उपबंध से संबंधित ऐसे किसी क्रियाकलाप में लगा है, जो ऐसे उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिनमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार अंतर्वलित है:

हां ☐ नहीं ☐

यदि उत्तर हां है तो जानकारी प्रस्तुत करें [प्रत्येक सत्याभाषी अनुकल्प सुसंगत बाजार के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए]:

6.5.1 सभी सत्याभाषी अनुकल्प(अनुकल्पों) पर विचार करते हुए, यथास्थिति, उर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह क्रियाकलाप या पूरक कार्यकलाप के ब्यौरे और सुसंगत उत्पाद और सुसंगत भौगोलिक बाजार के साथ सुसंगत उत्पाद और सुसंगत भौगोलिक बाजार के प्रत्येक सत्याभाषी अनुकल्प का प्रतिग्रहण करने और प्रतिक्षेपण करने की व्याख्या;

6.5.2 सुसंगत उत्पाद और/या सेवाओं के लिए पिछले तीन वर्षों का बाजार आकार;

6.5.3 संयोजन में प्रत्येक पक्षकारों (जिसके अंतर्गत उनके सुसंगत समूह अस्तित्व भी हैं) का पिछले तीन वर्षों में सुसंगत उत्पाद और/या सेवाओं के लिए बाजार शेयर;

6.5.4 पिछले तीन वर्षों में सुसंगत उत्पाद और सेवाओं के लिए पांच सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों का बाजार शेयर; और

6.5.5 संयोजन के पक्षकारों के बीच विद्यमान प्रदाय इंतजामों के साथ पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान संव्यवहार की मात्रा और मूल्य और प्रत्येक बाजार(बाजारों) में कुल विक्रय/उपभोग के संबंध में संबंधित पक्षकारों की ऐसे विक्रय/उपभोग का प्रतिशत।

6.6 क्या संयोजन के पक्षकारों में से किसी के पास या उनके समूह अस्तित्वों में से किसी के पास किसी अन्य उद्यम(उद्यमों) में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयर धारिता और/या नियंत्रण है जो (क) एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों के उत्पादन, वितरण या व्यापार या एक जैसे/समान/प्रतिस्थापनीय सेवाओं के उपबंध; और/या (ख) उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय और सेवा या व्यापार या सेवाओं के उपबंध से संबंधित कोई ऐसे क्रियाकलाप जो ऐसे उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिनमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार अंतर्वलित है; और या पूरक क्रियाकलाप में लगा है। यदि हां तो उपर्युक्त मद 6.1 से 6.5 के अनुसार ब्यौरे और

आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं।

6.7 ऐसे क्षेत्र(क्षेत्रों) का संक्षिप्त सिंहावलोकन जिसमें संयोजन के पक्षकार कार्य करते हैं। यदि संयोजन के पक्षकार समान, एक जैसे, पूरक या संपूरक कारबार में लगे हैं तो संबद्ध कारबार से संबंधित बाजार संरचना, विनियामक रुपरेखा, नई प्रवष्टि और निकास और कोई अन्य सुसंगत जानकारी भी उपलब्ध कराएं।

6.8 यदि संयोजन के पक्षकार में कोई, पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन या उसके अनुसरण में आयोग के समक्ष या अन्य प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी(प्राधिकारियों) के समक्ष किसी कार्यवाही (कार्यवाहियों) में पक्षकार था, तो कथित कार्यवाही के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

भाग VII: हरित चैनल

7. क्या प्रस्तावित संयोजन के लिए सूचना हरित चैनल के अंतर्गत है:

हां ☐ नहीं ☐

भाग VIII: संलग्नक

8. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:

8.1 सूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार (उपर्युक्त मद 1.6 देखें)।

8.2 आयोग को फीस के संदाय के लिए अभिस्वीकृति (उपर्युक्त मद 2 देखें)।

8.3 संसूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकार (उपर्युक्त मद 3 देखें)

8.4 संयोजन के पक्षकारों की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट।

8.5 विनियम 4 के उपविनियम (1) के स्पष्टीकरण (च) और (ज) के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेज, यदि लागू हों।

8.6 इन विनियमों के विनियम 13 के उपविनियम (2) के निबंधनों के अनुसार संयोजन का संक्षिप्त विवरण।

8.7 संयोजन पूर्व और संयोजन पश्च (क) अपने अंतिम मूल अस्तित्व और नियंत्रक शेयरधारक(शेयरधारकों) से प्रारंभ करते हुए संयोजन के पक्षकारों का; और (ख) उद्यम, जिनकी संरचना, स्वामित्व और नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयोजन से प्रभावित होंगे, के लिए स्वामित्व और मताधिकार (यदि स्वामित्व पैटर्न से भिन्न है) की शेयरधारिता/सीमा दर्शाने वाले चार्ट के साथ नियंत्रण के ब्यौरे।

8.8 इन विनियमों के विनियम 5 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अनुमोदन या करार/दस्तावेजों की प्रति।

8.9 प्रस्तावित संयोजन के संबंध में, संयोजन के पक्षकारों और/या उनके सुसंगत समूह अस्तित्वों के निदेशक मंडल और/या मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति द्वारा विचार किए गए और/या को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, सामग्री (जिसके अंतर्गत रिपोर्ट, अध्ययन, योजना, अन्य दसतावेजों का नवीनतम पाठ भी हैं), आदि।

8.10 यदि प्रस्तावित संयोजन के लिए सूचना हरित चैनल के अधीन है, तो अनुसूची III निबंधनों के अनुसार घोषणा।

8.11 यदि सूचना धारा 6क के खंड (क) के अधीन है, तो अनुसूची II के निबंधनों के अनुसार घोषणा।

घोषणा

सूचना देने वाला पक्षकार पुष्टि करता है कि उसने प्ररूप-I में, उसके टिप्पण के साथ पठित, यथापेक्षित सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।

सूचना देने वाला पक्षकार पुष्टि करता है कि इस प्ररूप में दी गई सभी जानकारी और इसके साथ उपाबद्ध सभी पृष्ठ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं, और यह कि सभी प्राक्कलन तदनुसार अभिज्ञात किये गये हैं और अंतर्निहित तथ्यों पर अधारित, मेरे सर्वोत्तम प्राक्कलन हैं।

सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में):

पदनाम:

तारीख: _____

[एक से अधिक सूचना देने वाले पक्षकारों की दशा में, प्रत्येक पक्षकार इसी प्ररूप का उपयोग करें।]

प्ररूप II

[विनियम 5(2) देखिए)]

पंजीकरण सं.: (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा नियत किया जाए)

सूचना देने वाले पक्षकार(पक्षकारों) द्वारा भरी जाने वाली अपेक्षित जानकारी

भाग I: आधारिक सूचना

1.संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के संबंध में जानकारी:

1.1. संयोजन के पक्षकार का विधिक नाम और उनकी भूमिका:

1.2. संयोजन के पक्षकारों की विधिक स्थिति (कंपनी/फर्म/एलएलपी/न्यास आदि):

1.3. निगम/सृजन की अधिकारिता:

1.4. रजिस्ट्रीकरण संख्याक (यदि लागू हो):

1.5. पूर्ण रजिस्ट्रीकृत पता/प्रधान कारबार का पता:

1.6. संयोजन के पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और उसका संपर्क पता (ईमेल का पता/ टेलीफोन नं./ मोबाइल नं., देश/नगर/क्षेत्र के कोड सहित):

1.7. भारत में पूर्ण पता और संपर्क का ब्यौरा:

1.8. वेबसाइट का पता:

1.9. संयोजन के पक्षकारों के क्रियाकलाप का सुसंगत चार अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण:

1.10. फाइलिंग पूर्व परामर्श की तारीख, यदि कोई हो:

भाग II: फीस संदाय

[विनियम 11 का खंड (ख) देखिए)]

2.जमा की गई फीस की विशिष्टियां

भाग III: संसूचना के बारे में प्राधिकार

3.भारत में ऐसे व्यष्टि(व्यष्टियों) का नाम, पूर्ण पता और संपर्क ब्यौरा जो सूचना देने वाले पक्षकार(पक्षकारों) की ओर से संसूचना(संसूचनाओं) को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।

भाग IV: अवसीमाओं के कार्यवृत्त

[अधिनियम की धारा 5 देखिए)]

4.संव्यवहार के वित्तीय ब्यौरे और मूल्य

4.1. संयोजन के पक्षकारों की आस्तियों और आवर्त के ब्यौरे निम्नलिखित प्ररूप में दें:

पक्षकारों का नाम	आस्तियां (_____की स्थिति के अनुसार)		आवर्त (वित्तीय वर्ष ____के लिए)	
	भारत में (करोड़	विश्व भर में	भारत में (करोड़	विश्व भर में

	रुपये में)	अमरीकी डॉलर (मिलियन)	रुपये (करोड़)	रुपये में)	अमरीकी डॉलर (मिलियन)	रुपये (करोड़)
पक्षकार 1						
पक्षकार 2						
संयोजित						

4.2. अधिनियम की धारा 5(घ) के अधीन आने वाले और इन विनियमों के विनियम 4 के उपविनियम (2) के अधीन विहित मानदंड को पूरा करने वाले संयोजनों के लिए संव्यवहार का मूल्य;

भाग V: संयोजन का वर्णन

5.निम्नलिखित के बारे में जानकारी देते हुए संयोजन का वर्णन करें:

5.1.अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) या धारा 6क के अनुसरण में अधिसूचित संयोजन की व्याप्ति करार (करारों) के अधीन, यथा लागू, सुसंगत खंड के प्रतिनिर्देश के साथ):

5.1.1. यथास्थिति, अर्जन या विलयन या समामेलन के ब्यौरे, धारा 5 के सुसंगत खंड के प्रतिनर्देश के साथ;

5.1.2. कोई अन्य संव्यवहार जो इन विनियमों के विनियम 9 के उपविनियम (4) और/या (5) के निबंधनों के अनुसार अंत:संबंधित है/हैं; और

5.1.3. उपर्युक्त 5.1.1 और 5.1.2 में निर्दिष्ट संव्यवहार(संव्यवहारों) के संसक्त से या संसक्त में अर्जित या उद्भूत अधिकार।

5.2.संयोजन को प्रभाव देने के प्रक्रम के साथ संयोजन के प्रत्येक प्रक्रम(प्रक्रमों) के लिए समयसीमा।

5.3.संयोजन के आर्थिक और नीतिगत प्रयोजन (जिसके अंतर्गत संयोजन के प्रत्येक पक्षकारों के लिए कारबार उद्देश्य और औचित्य और वह रीति भी है जिसमें वे उसे पाए जाने के लिए आशयित हैं)

5.4. प्रस्तावित संयोजन का मूल्य।

5.5. संयोजन के परिणामस्वरूप विदेशी विनिधान (एफडीआई, एफपीआई आदि, यदि कोई हो, रुपये में) और मूल देश

5.6. भारत से भिन्न अधिकारिताओं में फाइलिंग अपेक्षाएं और उसकी स्थिति।

5.7. संयोजन से संबंधित कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

भाग VI: संयोजन के पक्षकारों के क्रियाकलापों और क्षेत्र का सिंहावलोकन

6.संयोजन के प्रत्येक पक्षकारों के संबंध में ब्यौरे:

6.1. उस समूह का नाम जो संयोजन के पक्षकारों से संबंध रखता है।

6.2. संयोजन के प्रत्येक पक्षकारों के लिए, निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरा दें:

6.2.1. भारत में अस्तित्व और भारत में विद्यमानता (उदाहरण के लिए, विक्रय कार्यालय, कारखाना, संपर्क कार्यालय, शाखा कार्यालय, फ्रेंचाइजी या भारत से बाहर कोई अस्तित्व के माध्यम से, आदि)

6.2.2. पिछले एक वर्ष के दौरान सीईओ/सीएफओ/निदेशक/भागीदार/न्यासी/प्रभारी व्यक्ति/अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति;

6.2.3. भारत में प्रयुक्त व्यापार का नाम, कारबार का नाम और ब्रांड का नाम; और

6.2.4. विश्व भर में और भारत में क्रियाकलापों का सिंहावलोकन, यथा लागू।

6.3. योजन के पक्षकारों के उत्पादों (विनिर्मित, प्रदायित, वितरित, और/या विक्रीत) और/या प्रदान की जाने वाली

सेवाओं की सूची/ब्यौरे।

6.4. **अनुप्रस्थ अंशछादन** – सभी सत्याभाषी अनुकल्प(अनुकल्पों) पर विचार करते हुए, कृपया कथन करें कि क्या संयोजन के पक्षकार और/या उनके संबंधित समूह अस्तित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करते हैं/प्रदान करते हैं:

हां ☐ नहीं ☐

यदि उत्तर हां है तो जानकारी प्रस्तुत करें [प्रत्येक सत्याभाषी अनुकल्प सुसंगत बाजार के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए]:

6.4.1. सभी सत्याभाषी अनुकल्प(अनुकल्पों) पर विचार करते हुए, अंशछादन उत्पादों/सेवाओं और सुसंगत उत्पाद और सुसंगत भौगोलिक बाजार के ब्यौरे के साथ सुसंगत उत्पाद और सुसंगत भौगोलिक बाजार के प्रत्येक सत्याभाषी अनुकल्प का प्रतिग्रहण करने और प्रतिक्षेपण करने की व्याख्या;

6.4.2. विक्रय मूल्य (रुपये में) और मात्रा (यूनिट में) के निबंधनों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के लिए प्राक्कलन का सुसंगत स्रोत और आधार, बाजार का कुल आकार उपदर्शित करने वाला प्राक्कलन;

6.4.3. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार (जिसके अंतर्गत उनके सुसंगत समूह अस्तित्व भी हैं) का, पिछले पांच वर्षों के लिए बाजार शेयर(शेयरों) के प्राक्कलन के साथ विक्रय के मूल्य (रुपये में) और मात्रा (यूनिट में) ;

6.4.4. प्रत्येक पक्षकार के बाजार में कम से कम पांच प्रतिशत का बाजार शेयर रखने वाले प्रतिस्पर्धियों (उनके पिछले पांच वर्षों के बाजार शेयर के साथ), ग्राहकों (पिछले पांच वर्षों के लिए पक्षकार द्वारा की गई प्रदायती में उनके व्यष्टिक शेयरों के साथ) और प्रदायकर्ताओं (पिछले पांच वर्षों के लिए पक्षकार द्वारा किए गए उपापन में उनके व्यष्टिक शेयरों के साथ) के नाम और संपर्क ब्यौरे;

6.4.5. बाज़ार की संरचना और मांग के ब्यौरे:

6.4.5.1. संयोजन पूर्व और संयोजन पश्च सुसंगत बाजार(बाजारों) में उद्यम सीआर4 सूचकांक और एचएचआई (हर्फिनडाहल - हिर्शमैन सूचकांक) की संख्याक के निबंधनों के अनुसार सकेन्द्रण का स्तर;

6.4.5.2. सुसंगत बाजार(बाजारों) में प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और सीमा, बाज़ार अध्ययन, पूर्वानुमान, सर्वेक्षण आदि द्वारा समर्थित (यदि कोई हो);

6.4.5.3. लक्षणों, गुणवत्ता, कीमत, आशयित उपयोग, उपयोक्ता अनुभव आदि के निबंधनों के अनुसार उत्पाद अंतर और डिग्री की सीमा और महत्ता जिस तक संयोजन के पक्षकारों के उत्पाद या सेवाएँ करीबी प्रतिस्थापन हैं;

6.4.5.4. एक प्रदायकर्ता से दूसरे प्रदायकर्ता या एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में बदलने के लिए बदलने में आसानी और उसमें अंतर्वलित लागत (समय और व्यय के निबंधनों के अनुसार);

6.4.5.5. बाजार में हाल के व्यवधानों के ब्यौरे, चाहे वह प्रौद्योगिक हो या कारबार मॉडल में या कोई उत्पाद या प्रक्रिया नवाचार(नवाचारों) में कोई परिवर्तन हो या किसी अन्य माध्यम से जिसने बाजार को बदल दिया है; और

6.4.5.6. आयात द्वारा लगाई गई प्रतिस्पर्धा बाधा की डिग्री।

6.4.6.कानूनी और विनियामक रुपरेखा के ब्यौरे:

6.4.6.1. विनियम/कानून/नियम/प्रक्रियाएं/शासकीय प्रेस टिप्पण/निदेश/अधिसूचना/टैरिफ और गैर-टैरिफ विनियमन, आदि, जो संयोजन के पक्षकारों के एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण का निर्बंधन करते हैं;

6.4.6.2. एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के संबंध में सरकार/विभागों/प्राधिकरणों द्वारा विहित स्थानीय विनिर्देशन;

6.4.6.3. एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन/प्रदाय के लिए सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनुज्ञापन/रजिस्ट्रीकरण संबंधी अपेक्षाएं; और

6.4.6.4. सरकारी उपापन नीतियां जो संयोजन के पक्षकारों या उनके प्रतिस्पर्धियों को विशेष अभिमुक्ति प्रस्थापित करती हैं।

6.4.7. अनुसंधान और विकास (आर एंड डी):

6.4.7.1. किसी उद्यम को प्रतिस्पर्धी बने रहने या सुसंगत बाजार(बाजारों) में बचे रहने में समर्थ बनाने के प्रति अनुसंधान और विकास क्षमताओं और बौद्धिक संपदा अधिकार रखने की महत्ता;

6.4.7.2. पिछले पांच वर्षों में संयोजन के पक्षकारों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के क्रियाकलापों की प्रकृति और सीमा, यदि कोई हो, और संयोजन के पक्षकारों के पास विद्यमान भौतिक बौद्धिक संपदा अधिकार;

6.4.7.3. संयोजन के साथ और संयोजन के बिना, संयोजन के पक्षकारों की अनुसूचित और/या आशयित अनुसंधान और विकास के क्रियाकलाप। संयोजन के पक्षकारों की अनुसंधान और विकास के क्रियाकलापों की सीमा, प्रकृति और/या आकार पर संयोजन का प्रभाव, और संबंधित बाजार(बाजारों) में प्रतिस्पर्धा पर ऐसे परिवर्तन का संभावित प्रभाव; और

6.4.7.4. सुसंगत प्रौद्योगिकियों के उपापन में आसानी जिसके अंतर्गत आयात और पहले से तैयार (ऑफ शेल्फ) खरीद भी है।

6.4.8. सुसंगत बाजार(बाजारों) में प्रवेश:

6.4.8.1. सुसंगत बाजार(बाजारों) में प्रवेश को प्रभावित करने वाले कारक;

6.4.8.2. पिछले पांच वर्षों में सुसंगत बाजार(बाजारों) में प्रवेश करने वाले या प्रवेश करने का प्रयास करने वाले उद्यम(उद्यमों) का ब्यौरा;

6.4.8.3. आगामी दो वर्षों के भीतर सुसंगत बाजार(बाजारों) में महत्वपूर्ण आकार के उद्यमों के प्रवेश की संभावना का ब्यौरा;

6.4.8.4. पिछले पांच वर्षों के दौरान सुसंगत उत्पाद(उत्पादों)/सेवा(सेवाओं) के लिए भारत के किसी भौगोलिक क्षेत्र में संयोजन के किसी पक्षकार द्वारा प्रवेश या प्रवेश के प्रयास का ब्यौरा; और

6.4.8.5. संयोजन के पक्षकारों द्वारा उसी सुसंगत बाजार(बाजारों) में पाइपलाइन में होने वाले अर्जन का ब्यौरा।

6.4.9. सुसंगत बाजार(बाजारों) से निकास:

6.4.9.1. पिछले पांच वर्षों में सुसंगत बाजार(बाजारों) से निकास या निकास करने का प्रयास करने वाले उद्यम(उद्यमों) का ब्यौरा;

6.4.9.2. आगामी दो वर्षों के भीतर सुसंगत बाजार(बाजारों) में महत्वपूर्ण आकार के उद्यम(उद्यमों) के निकास की संभावना का ब्यौरा;

6.4.9.3. संयोजन के परिणामस्वरूप या संयोजन को अग्रसर करने के संबंध में, संयोजन के पक्षकारों द्वारा प्रस्थापित समान, एक जैसे या प्रतिस्थापनीय उत्पाद (उत्पादों) और/या सेवा (सेवाओं) के प्रदाय की व्याप्ति और/या प्रकृति/विस्तार/मात्रा में परिवर्तन में संभावित अपचयन का ब्यौरा;

6.4.9.4. संयोजन के पक्षकारों द्वारा उसी सुसंगत बाजार(बाजारों) में पाइपलाइन में होने वाले उत्पादों या सेवाओं, नियोजित विस्तार (चाहे क्षमता या भौगोलिक क्षेत्र आदि के निबंधनों के अनुसार है) का ब्यौरा, संयोजन की अनुपस्थिति, और ऐसे उत्पाद या सेवाओं पर संयोजन का संभावित प्रभाव या विस्तार।

6.4.10. आयात के ब्यौरे;

6.4.11. निर्यात के ब्यौरे; और

6.4.12. अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन दिये गये कारकों के प्रतिनिर्देश के अनुसार जानकारी।

6.5. **लंबवत और संपूरक क्रियाकलाप:** सभी सत्याभाषी अनुकल्प(अनुकल्पों) पर विचार करते हुए, कृपया कथन करें कि क्या संयोजन के पक्षकार और/या उनके संबंधित समूह अस्तित्व में से कोई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय और सेवा या व्यापार या सेवाओं के उपबंध से संबंधित

ऐसे किसी क्रियाकलाप में लगा है, जो ऐसे उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिनमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार अंतर्वलित है:

हां ☐ नहीं ☐

यदि उत्तर हां है तो जानकारी प्रस्तुत करें [प्रत्येक सत्याभाषी अनुकल्प सुसंगत बाजार के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए]:

6.5.1. सभी सत्याभाषी अनुकल्प(अनुकल्पों) पर विचार करते हुए, यथास्थिति, उर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह क्रियाकलाप या पूरक कार्यकलाप के ब्यौरे और सुसंगत उत्पाद और सुसंगत भौगोलिक बाजार के साथ सुसंगत उत्पाद और सुसंगत भौगोलिक बाजार के प्रत्येक सत्याभाषी अनुकल्प का प्रतिग्रहण करने और प्रतिक्षेपण करने की व्याख्या;

6.5.2. सुसंगत उत्पाद और/या सेवाओं के लिए पिछले पांच वर्षों का बाजार आकार;

6.5.3. पिछले पांच वर्षों में सुसंगत उत्पाद और सेवाओं के लिए पांच सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों का बाजार शेयर; और

6.5.4 सुसंगत उत्पाद और सेवाओं के लिए कम से कम पांच प्रतिशत की बाजार शेयर (साथ ही पिछले पांच वर्षों के लिए उनका बाजार शेयर) वाले सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों का नाम और संपर्क का ब्यौरा;

6.5.5. उर्ध्वप्रवाह बाजार में उपस्थिति वाले प्रत्येक पक्षकार के पांच सबसे बड़े ग्राहकों के नाम और संपर्क के ब्यौरे के साथ पिछले पांच वर्षों में पक्षकार(पक्षकारों) द्वारा किये गये प्रदाय में ऐसे ग्राहकों का व्यष्टिक शेयर;

6.5.6. अनुप्रवाह बाजार में उपस्थिति वाले प्रत्येक पक्षकार के पांच सबसे बड़े प्रदायकर्ताओं के नाम और संपर्क के ब्यौरे के साथ पिछले पांच वर्षों में पक्षकार(पक्षकारों) द्वारा किये गये उपापन में ऐसे प्रदायकर्ताओं का व्यष्टिक शेयर;

6.5.7. संयोजन के पक्षकारों के बीच विद्यमान प्रदाय इंतजामों के साथ पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान संव्यवहार की मात्रा और मूल्य और प्रत्येक बाजार(बाजारों) में कुल विक्रय/उपभोग के संबंध में संबंधित पक्षकारों की ऐसे विक्रय/उपभोग का प्रतिशत;

6.5.8 बाज़ार की संरचना और मांग के ब्यौरे:

6.5.8.1. संयोजन पूर्व और संयोजन पश्च सुसंगत बाजार(बाजारों) में उद्यम सीआर4 सूचकांक और एचएचआई (हर्फिनडाहल - हिर्शमैन सूचकांक) की संख्याक के निबंधनों के अनुसार सकेन्द्रण का स्तर;

6.5.8.2. सुसंगत बाजार(बाजारों) में प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और सीमा, बाज़ार अध्ययन, पूर्वानुमान, सर्वेक्षण आदि द्वारा समर्थित (यदि कोई हो);

6.5.8.3. एक प्रदायकर्ता से दूसरे प्रदायकर्ता या एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में बदलने के लिए बदलने में आसानी और उसमें अंतर्वलित लागत (समय और व्यय के निबंधनों के अनुसार);

6.5.8.4. बाजार में हाल के व्यवधानों के ब्यौरे, चाहे वह प्रौद्योगिक हो या कारबार मॉडल में या कोई उत्पाद या प्रक्रिया नवाचार(नवाचारों) में कोई परिवर्तन हो या किसी अन्य माध्यम से जिसने बाजार को बदल दिया है; और

6.5.8.5. आयात द्वारा लगाई गई प्रतिस्पर्धा बाधा की डिग्री।

6.5.9 कानूनी और विनियामक रुपरेखा के ब्यौरे:

6.5.9.1 विनियम/कानून/नियम/प्रक्रियाएं/शासकीय प्रेस टिप्पण/निदेश/अधिसूचना/टैरिफ और गैर-टैरिफ विनियमन, आदि, जो संयोजन के पक्षकारों के एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण

का निर्बंधन करते हैं;

6.5.9.2 सुसंगत उत्पादों या सेवाओं के संबंध में सरकार/विभागों/प्राधिकरणों द्वारा विहित स्थानीय विनिर्देशन;

6.5.9.3 सुसंगत उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन/प्रदाय के लिए सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनुज्ञापन/रजिस्ट्रीकरण संबंधी अपेक्षाएं; और

6.5.9.4 सरकारी उपापन नीतियां जो संयोजन के पक्षकारों या उनके प्रतिस्पर्धियों को विशेष अभिमुक्ति प्रस्थापित करती हैं।

6.5.10 अनुसंधान और विकास (आर एंड डी):

6.5.10.1 किसी उद्यम को प्रतिस्पर्धी बने रहने या सुसंगत बाजार(बाजारों) में बचे रहने में समर्थ बनाने के प्रति अनुसंधान और विकास क्षमताओं और बौद्धिक संपदा अधिकार रखने की महत्ता; और

6.5.10.2 पिछले पांच वर्षों में संयोजन के पक्षकारों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के क्रियाकलापों की प्रकृति और सीमा, यदि कोई हो, और संयोजन के पक्षकारों के पास विद्यमान भौतिक बौद्धिक संपदा अधिकार; और

6.5.10.3 सुसंगत प्रौद्योगिकियों के उपापन में आसानी जिसके अंतर्गत आयात और पहले से तैयार (ऑफ शेल्फ) खरीद भी है।

6.5.11 सुसंगत बाजार(बाजारों) में प्रवेश:

6.5.11.1 सुसंगत बाजार(बाजारों) में प्रवेश को प्रभावित करने वाले कारक;

6.5.11.2 पिछले पांच वर्षों में सुसंगत बाजार(बाजारों) में प्रवेश करने वाले या प्रवेश करने का प्रयास करने वाले उद्यम(उद्यमों) का ब्यौरा;

6.5.11.3 आगामी दो वर्षों के भीतर सुसंगत बाजार(बाजारों) में महत्वपूर्ण आकार के उद्यमों के प्रवेश की संभावना का ब्यौरा;

6.5.11.4 पिछले पांच वर्षों के दौरान सुसंगत उर्ध्वप्रवाह या अनुप्रवाह बाजारों में संयोजन के किसी पक्षकार द्वारा प्रवेश या प्रवेश के प्रयास का ब्यौरा;

6.5.11.5 सुसंगत उर्ध्वप्रवाह उत्पाद/सेवा या अनुप्रवाह उत्पाद/सेवा में भारत में किसी भौगोलिक क्षेत्र में योजनाबद्ध प्रवेश का ब्यौरा, चाहे वह क्षमता या भौगोलिक क्षेत्र आदि के निबंधनों के अनुसार हो; और

6.5.11.6 संयोजन के पक्षकारों द्वारा उसी सुसंगत उर्ध्वप्रवाह या अनुप्रवाह बाजार में पाइपलाइन में होने वाले अर्जन का ब्यौरा।

6.5.12 सुसंगत बाजार(बाजारों) से निकास:

6.5.12.1 पिछले पांच वर्षों में सुसंगत बाजार(बाजारों) से निकास या निकास करने का प्रयास करने वाले उद्यम(उद्यमों) का ब्यौरा;

6.5.12.2 आगामी दो वर्षों के भीतर सुसंगत बाजार(बाजारों) में महत्वपूर्ण आकार के उद्यम(उद्यमों) के निकास की संभावना का ब्यौरा;

6.5.13 आयात के ब्यौरे;

6.5.14 निर्यात के ब्यौरे; और

6.5.15 अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन दिये गये कारकों के प्रतिनिर्देश के के अनुसार जानकारी।

6.6 क्या संयोजन के पक्षकारों में से किसी के पास या उनके समूह अस्तित्वों में से किसी के पास किसी अन्य उद्यम(उद्यमों) में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयर धारिता और/या नियंत्रण है जो (क) एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों के उत्पादन, वितरण या व्यापार या एक जैसे/समान/प्रतिस्थापनीय सेवाओं के उपबंध; और/या (ख) उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय और सेवा या व्यापार या सेवाओं के उपबंध से संबंधित कोई ऐसे क्रियाकलाप जो ऐसे उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिनमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार अंतर्वलित है; और/या (ग) संपूरक क्रियाकलाप में लगा है। यदि हां तो उपर्युक्त मद 6.1 से 6.5 के अनुसार ब्यौरे और आवश्यक जानकारी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयरधारिता, किसी अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार या क्षमता (जिसके अंतर्गत किसी

पक्षकार या उसके सबंद्ध के साथ वाणिज्यिक प्रकृति के कोई लाभ भी है) को निदर्शित करने वाली सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराएं जो सामान्य शेयरधारक को उपलब्ध न हो और जो किसी अन्य उद्यम में निदेशक या पर्यवेक्षक को नामांकित करने का अधिकार या क्षमता रखता हो;

6.7 ऐसे क्षेत्र(क्षेत्रों) का संक्षिप्त सिंहावलोकन जिसमें संयोजन के पक्षकार कार्य करते हैं;

6.8 आर्थिकी, बाजार(बाजारों) और ग्राहकों पर संयोजना का संभावित प्रभाव; और

6.9 यदि संयोजन के पक्षकार में कोई, पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन या उसके अनुसरण में आयोग के समक्ष या अन्य प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी(प्राधिकारियों) के समक्ष किसी कार्यवाही (कार्यवाहियों) में पक्षकार था, तो कथित कार्यवाही के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

भाग VII: संलग्नक

7. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:

7.1. सूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार (उपर्युक्त मद 1.6 देखें)।

7.2. आयोग को फीस के संदाय के लिए अभिस्वीकृति (उपर्युक्त पैराग्राफ 2 देखें)।

7.3. संसूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकार (उपर्युक्त पैराग्राफ 3 देखें)

7.4. संयोजन के पक्षकारों की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट।

7.5. विनियम 4 के उपविनियम (1) के स्पष्टीकरण (च) और (ज) के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेज, यदि लागू हों।

7.6. इन विनियमों के विनियम 13 के उपविनियम (2) के निबंधनों के अनुसार संयोजन का संक्षिप्त विवरण।

7.7. प्रस्तावित संयोजन का (क) संयोजन के पक्षकार; (ख) संयोजन की प्रकृति; (ग) संयोजन के पक्षकारों के क्रियाकलाप के क्षेत्र; (घ) बाजार (इसके अंतर्गत उसकी संरचना और प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी है) जिसमें संयोजन का प्रभाव पड़ेगा या पड़ने की संभावना है; (ड.) अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के निबंधनों के अनुसार जानकारी; और (च) संयोजन के विभिन्न प्रकमों को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित समय-सीमा विनिर्दिष्ट करते हुए कार्यकारी संक्षिप्त ब्यौरा।

7.8. संयोजन पूर्व और संयोजन पश्च (क) अपने अंतिम मूल अस्तित्व और नियंत्रक शेयरधारक(शेयरधारकों) से प्रारंभ करते हुए संयोजन के पक्षकारों का; और (ख) उद्यम, जिनकी संरचना, स्वामित्व और नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयोजन से प्रभावित होंगे, के लिए स्वामित्व और मताधिकार (यदि स्वामित्व पैटर्न से भिन्न है) की शेयरधारिता/सीमा दर्शाने वाले चार्ट के साथ नियंत्रण के ब्यौरे।

7.9. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार का नवीनतम संगठनात्मक चार्ट।

7.10. इन विनियमों के विनियम 5 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अनुमोदन या करार/दस्तावेजों की प्रति।

7.11. प्रस्तावित संयोजन के संबंध में, संयोजन के पक्षकारों और/या उनके सुसंगत समूह अस्तित्वों के निदेशक मंडल और/या मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति द्वारा विचार किए गए और/या को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, सामग्री, जिसके अंतर्गत रिपोर्ट, अध्ययन, योजना, अन्य दसतावेजों का नवीनतम पाठ भी हैं, आदि।

7.12. यदि सूचना धारा 6क के खंड (क) के अधीन है, तो अनुसूची II के निबंधनों के अनुसार घोषणा।

घोषणा

सूचना देने वाला पक्षकार पुष्टि करता है कि उसने प्ररूप- II में, उसके टिप्पण के साथ पठित, यथापेक्षित सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।

सूचना देने वाला पक्षकार पुष्टि करता है कि इस प्ररूप में दी गई सभी जानकारी और इसके साथ उपाबद्ध सभी पृष्ठ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं, और यह कि सभी प्राक्कलन इस प्रकार अभिज्ञात

किये गये हैं और अंतर्निहित तथ्यों के आधार पर मेरे सर्वोत्तम प्राक्कलन हैं।

सूचना देने वाला पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में):

पदनाम:

तारीख: _____

प्ररूप III

[विनियम 21(2) देखिए]

<u>प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन संयोजन के ब्यौरे</u>

1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ("आयोग") [●] (नाम और पता) और [●] (नाम और पता) के बीच संयोजन के संबंध में अन्वेषण कर रहा है।
2. प्ररुप II के स्तंभ 1 के अधीन संयोजन के पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए संयोजन का सक्षिप्त विवरण के अनुसार संयोजन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:
3. यह अवधारित करने के लिए कि क्या संयोजन के कारण भारत में सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है, आयोग संयोजन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित या प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति(व्यक्तियों) से, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार, इस प्रकाशन की तारीख से दस दिवसों के भीतर, लिखित में, सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, 10वां तल, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लैक्स, ऑफिस ब्लॉक - I, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023, को संबोधित टीका-टिप्पणियां/आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करता है।
4. टीका-टिप्पणियों/आक्षेपों/सुझावों में में निम्नलिखित का कथन होगा:
   (क) आयोग को लिखने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के नाम, पते और संपर्क के ब्यौरे, और
   (ख) इस बात के लिए समर्थनकारीदस्तावेजों के साथ कि अधिनियम 20 की उपधारा (4) के अधीन उपबंधित कारकों/अधिनियम के संसुगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार व्यक्ति संयोजन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है/प्रभावित होने की संभावना है।

आयोग किन्हीं अपुष्ट आक्षेपों पर विचार नहीं करेगा।

प्ररूप IV

[विनियम 25(3) देखिए]

1. प्रस्तावित संयोजन:
2. प्रतिस्पर्धा पर संभावित पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव :
3. प्रस्थापित उपांतरण का संक्षिप्त ब्यौरा:
4. प्रतिस्पर्धा पर संभावित पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव को संबोधित करने के प्रति उपांतरणों की पर्याप्तता:
5. विनिवेश:

5.1. विनिवेश कारबार: विनिवेश किए जाने के लिए प्रस्तावित अस्त्विो और/या कारबार के विवरण के साथ कारबार का रजिस्ट्रीकृत स्थान, संगठनात्मक संरचना, विनिर्माण सुविधाओं/ कारखानों/ संयंत्रों/सेवा केंद्रों/ विक्रय कार्यालयों आदि का ब्यौरा।

5.2. विनिवेश कारबार के माध्यम से प्रस्थापित उत्पादों और/या सेवाओं की सूची।

5.3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सुसंगत बाजार(बाजारों) में विनिवेश कारबार का बाजार शेयर।

5.4. विनिवेश संबंधी आस्तियों की व्याप्ति जिसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त आस्तियों/बौद्धिक संपत्तियों; कर्मचारी और अन्य जनशक्ति; कार्यशील पूंजी, आस्ति और देनदारिओं; अनुज्ञापत्रों; और प्रदाय संविदाओं/इंतजामों के ब्यौरे भी हैं।

5.5. विनिवेश पूर्ण होने तक विनिवेश संबंधी आस्तियों की व्यवहार्यता, विपणन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता का परिरक्षण करने के उपाय। इसमें अलग इंतजाम, विनिवेश संबंधी आस्तियों की वलय पट्टेबाजी (रिंग फेंसिंग) और संक्रमणकालीन और पूरक इंतजाम शामिल हो सकते हैं।

5.6. विनिवेश संबंधी आस्तियों के क्रेता और विक्रय/हस्तांतरण इंतजामों के ब्यौरे: (क) क्रेता की पात्रता अपेक्षाएं; (ख) चयन की पद्धति; (ग) सम्यक उद्यम; और (घ) विक्रय/हस्तांतरण इंतजामों पर बातचीत और निष्पादन।

5.7. प्रमुख लक्ष्य (माइलस्टोन) उपवर्णित करते हुए विनिवेश पूर्ण करने की कालावधि: (क) वह कालावधि जिसके भीतर विनिवेश पूर्ण हो जाएगा - पहली विनिवेश अवधि (एफडीपी); (ख) एफडीपी के पश्चात विनिवेश एजेंसी की नियुक्ति; (ग) दूसरी

विनिवेश अवधि और विनिवेश को प्रभाव देने में आस्तियों की व्याप्ति में उपांतरण करने के लिए विनिवेश एजेंसी का अधिकार; और (घ) उपांतरण से सहयुक्त अन्य प्रमुख घटनाओं को पूर्ण करने के लिए समय सीमा।

6. अन्य उपांतरण:
   6.1. उपांतरणों की प्रकृति और व्याप्ति तथा विनिवेश पर विचार न करने के कारण।
   6.2. निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत वह कालावधि भी है जिसके लिए उपांतरण प्रभावी होगा।
7. अनुश्रवण इंतजाम।

अनुसूची II
[विनियम 5(4) देखिए]

घोषणा

1. सूचना देने वाला पक्षकार पुष्टि करता है कि उसने अनुसूची I में विनिर्दिष्ट [प्ररुप I या प्ररुप II] में, यथापेक्षित सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।
2. सूचना देने वाला पक्षकार पुष्टि करता है कि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रयोग नहीं किया है: (क) विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट के सिवाय, ऐसे शेयरों या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों में कोई स्वामित्व या लाभकारी अधिकार या हित (ख) ऐसे उद्यम के कार्यों को प्रभावित नहीं किया है जिसके शेयरों का अर्जन किया जा रहा है, और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संयोजन के अनुमोदन तक ऐसा प्रयोग नहीं करने का वचन देता है।
3. सूचना देने वाला पक्षकार आगे वचन देता है कि वह आयोग को अधिसूचित संयोजन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा और उसके कब्जे में यथापेक्षित ऐसी जानकारी और दस्तावेज, यथास्थिति, प्ररुप I या प्ररुप II में प्रस्तुत करेगा।

सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित
हस्ताक्षर
नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
पदनाम:
तारीख: _____

टिप्पण: एक से अधिक सूचना देने वाले पक्षकारों की दशा में, प्रत्येक पक्षकार, यह घोषणा दाखिल करेगा।

अनुसूची III
[विनियम 5(5) देखिए]

घोषणा

1. सूचना देने वाला पक्षकार पुष्टि करता है कि उसने अनुसूची I में यथाविनिर्दष्ट, प्ररूप-I में, यथापेक्षित सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।
2. सूचना देने वाला पक्षकार पुष्टि करता है कि प्रस्तावित संयोजन _____ के अधीन आता है और इससे प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
3. सूचना देने वाला पक्षकार पुष्टि करता है कि उसने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिसकी कोई सामग्री विशिष्ट मिथ्या हो या यह जानते हुए कि यह मिथ्या है; या कोई सामग्री विशिष्ट का यह जानते हुए कथन करने में लोप कर दिया है कि वह सारवान है।

सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित
हस्ताक्षर
नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
पदनाम:
तारीख: _____

टिप्पण: एक से अधिक सूचना देने वाले पक्षकारों की दशा में, प्रत्येक पक्षकार, यह घोषणा दाखिल करेगा।

इंदर पाल सिंह बिंद्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./476/2024-25]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2024

The Competition Commission of India (Combinations) Regulations, 2024

(No. 07 of 2024)

F.No.CCI/CD/Comb. Regl./2024-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (c), (ca), (cb), (cc), (f) and (fc) of sub-section (2) of section 64 read with sub-sections (2) and (4) of section 6, section 6A and sub-section (2) of section 29A of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations, namely: -

1 **1. Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Combinations) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on 10th day of September, 2024.

2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003) as amended from time to time;

(b) "Parties to the combination" means persons or enterprises entering into the combination and shall include the combined entity if the combination has come into effect;

(c) "Relevant date" means the date on which the approval of the proposal relating to merger or amalgamation is accorded by board of directors or the date of execution of agreement or the date of such other document for acquisition or acquiring of control referred to in sub-section (2) of Section 6 of the Act.

(2) For the purposes of these regulations, reference to "days" shall mean calendar days unless otherwise specified in these regulations or the Act.

(3) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act or the rules or regulations framed thereunder or in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

3. Power to determine procedure in certain circumstances.

In a situation not provided for in these regulations or the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024, the Commission may determine the procedure, in such matters, if so required.

4. Value of transaction and substantial business operations in India.

(1) The value of transaction for the purpose of clause (d) of section 5 of the Act shall include every valuable consideration, whether direct or indirect, immediate or deferred, cash or otherwise, including but not limited to the consideration, —

(a) for any covenant, undertaking, obligations or restrictions imposed on seller or any other person, if such consideration is agreed separately;

(b) for all inter-connected steps and transactions, as provided in sub-regulation (4) and (5) of regulation 9 of these regulations;

(c) payable during two years from the date on which the transaction would come into effect for arrangement(s) entered into as a part of the transaction or incidental thereto including but not limited to technology assistance, licensing of intellectual property rights, usage rights of any product, service or facility, supply of raw materials or finished goods, branding and marketing;

(d) for call option and shares to be acquired thereof assuming full exercise of such option;

(e) payable, as per best estimates, based on the future outcome specified under the transaction documents.

Explanation. —For the purpose of this sub-regulation,

(a) the value of future payments shall not be discounted to present value;

(b) the rate of conversion of foreign currency into Indian Rupees shall be average spot rate for last six months quoted by the Reserve Bank of India from the relevant date;

(c) value of transaction shall include consideration for any acquisition by one of the parties or its group entity in the enterprise being acquired or merged or amalgamated in the transaction, anytime during the period of two years before the relevant date;

(d) in case of implementation of an open offer under the regulations issued by Securities and Exchange Board of India or any other law for the time being in force, the person required to give notice shall assume full subscription to the offer for the purpose of computation of value of transaction;

(e) the value of transaction does not include transaction costs such as fees payable for legal advice, to investment banks, to regulators, to statutory authorities, *etc*.;

(f) In case of merger or amalgamation or where true and complete value of the transaction is not recorded in transaction documents, the value of that transaction or component thereof shall be the same as considered by the board of directors or any other approving authority of the person obligated to file notice under these regulations;

(g) if value of transaction cannot be established with reasonable certainty, by the board of directors or any other approving authority of the person obligated to file notice under these regulations, the value of the transaction may be considered as exceeding the amount specified in clause (d) of section 5 of the Act;

(h) the best estimate shall be the estimate of the board of directors or any other approving authority of the person obligated to file notice under these regulations recorded by it in its approval. If the estimate is not recorded by the board of directors or any other approving authority of the person obligated to file notice in its approval, the maximum payable amount shall be considered as the best estimate.

(2) For the purpose of proviso to clause (d) of section 5 of the Act, the enterprise referred therein shall be deemed to have substantial business operations in India, if:

(a) for digital services provided, the number of its business users or end users in India is 10% or more of its total global number of such users; or

(b) its gross merchandise value for the period of twelve months preceding the relevant date in India is:

(i)10% or more of its total global gross merchandise value, and

(ii) more than rupees five hundred crores; or

(c) its turnover during the preceding financial year in India is:

(i)10% or more of its total global turnover derived from all the products and services, and

(ii) more than rupees five hundred crores.

Explanation 1.— Sub-clause (ii) of clause (b) and sub-clause (ii) of clause (c) of this sub-regulation shall not apply to digital services.

Explanation 2.— For the purpose of this sub-regulation,

(a) "gross merchandise value" means cash, receivables, or other consideration either for or facilitating, sale of goods and/ or provision of services, by an enterprise, on its own or as an agent or otherwise;

(b) where a portion of an enterprise or division or business is being acquired, taken control of, merged or amalgamated, the number of its business users or end users, gross merchandise value or turnover, as may be applicable, of the said portion or division or business attributable to it, shall be relevant business users or end users, gross merchandise value or turnover;

(c) proportion of business users or end users, shall be computed on the basis of average number of such users, for three hundred and sixty five days preceding the relevant date;

(d) Digital service means the provision of a service or one or more pieces of digital content, or any other activity by means of an internet whether for consideration or

otherwise to the end user or business user, as the case may be;

(e) Business user means any natural or legal person supplying or providing goods or services, including through the use of digital services;

(f) End user means any natural or legal person using digital services other than as a business user, for informational or transactional purpose.

5. Form of notice for the proposed combination.

(1) The notice under sub-section (2) of section 6 of the Act or clause (a) of section 6A of the Act, shall ordinarily be filed in Form I as specified in schedule I to these regulations, duly filled in and accompanied by evidence of payment of requisite fee.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the person required to give notice may, at their option, give notice in Form II, as specified in schedule I to these regulations, preferably in the instances where -

(a) the parties to the combination are engaged in production, supply, distribution, storage, sale or trade of similar or identical or substitutable goods or provision of similar or identical or substitutable services and the combined market share of the parties to the combination after such combination is more than fifteen percent (15%) in any of the relevant markets;

(b) the parties to the combination are engaged at different stages or levels of the production chain in different markets, in respect of production, supply, distribution, storage, sale or trade in goods or provision of services, and their individual or combined market share is more than twenty five percent (25%) in any of the relevant markets.

(3) The person required to give notice shall give notice in Form I or Form II, as specified in schedule I to these regulations, as the case may be, in accordance with the notes to Form I and Form II issued by the Commission and published on its official website, from time to time.

(4) A notice under clause (a) of section 6A of the Act read with sub-regulation (1) or (2) of this regulation shall be given within thirty days from the date of first acquisition of shares pursuant to the implementation of an open offer or an acquisition of shares or securities convertible into other securities from various sellers, through a series of transactions on a regulated stock exchange, along with the declaration specified in schedule II to these regulations and accompanied by evidence of payment of requisite fee.

(5) The notice under sub-section (4) of section 6 of the Act shall be filed in Form I as specified in schedule I to these regulations, duly filled in along with the declaration specified in schedule III to these regulations, and accompanied by evidence of payment of requisite fee by the parties to the combination.

(6) Having due regard to the provisions of sub-regulation (1), in cases where the notice is given in Form I and the Commission requires information in Form II to form *prima facie* opinion whether the combination is likely to cause or has caused appreciable adverse effect on competition within the relevant market, it shall direct the person required to give notice to file notice in Form II as specified in schedule I to these regulations:

Provided that the fee already paid while giving notice in Form I shall be adjusted against the fee payable for giving notice in Form II if such notice is given within a period of forty-five days from the date of communication of the decision of the Commission.

(7) The reference to the "board of directors" in clause (a) of sub-section (2) of section 6 of the Act, shall mean and include,—

(a) the individual himself or herself including a sole proprietor of a proprietorship firm;

(b) the karta in case of a Hindu Undivided Family (HUF);

(c) the board of directors in case of a company;

(d) in case of a corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India or any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India or a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies or a local authority, the person or the body so empowered by the legal instrument that created the said bodies;

(e) in the case of a firm, the partner(s) so authorized;

(f) in the case of any other artificial juridical person not falling within any of the preceding sub-clauses, by that person or by some other person competent to act on his behalf.

6. **Exercise of rights in case of open offer and acquisitions on stock exchanges.**

In case of an acquisition in respect of which notice under clause (a) of section 6A of the Act is required to be given, the acquirer could, —

(a) avail economic benefits such as dividend or any other distribution, subscription to rights issue, bonus shares, stock-splits and buy-back of securities;

(b) exercise voting rights only in matters relating to liquidation and/or insolvency proceedings:

Provided that the acquirer, its group entities and other entities forming part of the same group including their affiliates shall not, directly or indirectly, influence the enterprise whose shares or securities are being acquired or any of its affiliate(s), in any manner whatsoever.

7. **Request for confidentiality**.

(1) Any request for confidentiality of information or documents submitted during the inquiry shall be duly considered by the Commission having due regard to the procedure laid down in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024, as amended from time to time.

(2) The request under sub-regulation (1) shall clearly state the reasons, justification and implications for the business of the parties to the combination so that all relevant factors may be considered by the Commission while taking decision in the matter.

8. **Failure to file notice.**

(1) Where the parties to a combination fail to file notice under sub-section (2) or (4) of section 6 of the Act or clause (a) of section 6A of the Act or proviso to section 43A of the Act, the Commission may under sub-section (1) of section 20 of the Act, upon its own knowledge or information relating to such combination, inquire into whether such a combination has caused or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India.

(2) Where the Commission decides to commence an inquiry, referred to in sub-regulation (1), the Commission, without prejudice to any penalty which may be imposed or any prosecution which may be initiated under this Act, shall direct the person required to give notice to file notice in Form I or Form II as specified in schedule I to these regulations, as decided by the Commission.

(3) The notice, referred to in sub-regulation (2), shall be filed, within thirty days of receipt of communication from the Commission.

9. **Obligation to file the notice.**

(1) In case of an acquisition or acquiring of control of enterprise(s), the acquirer shall file the notice in Form I or Form II as specified in schedule I to these regulations, as the case may be, which shall be duly signed by the person(s) as specified under regulation 11 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024:

Provided that in case of a company, apart from the persons specified under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024, Form I or Form II may also be signed by any person duly authorised by the company.

(2) In case the enterprise is being acquired without its consent, the acquirer shall furnish such information as is available to him, in Form I or Form II as specified in schedule I to these regulations, as the case may be, relating to the enterprise being acquired:

Provided that all information required to be filed, relating to the enterprise being acquired without its consent shall be filed with the Commission within ten days from filing of the notice and in case the acquirer is not in a position to furnish all the required information in Form I or Form II, as the case may be, relating to the enterprise being acquired, the Commission may direct the enterprise being acquired to furnish such information as it

deems fit and the time taken by the parties to the combination or the acquired enterprise, as the case may be, in furnishing the required information including document(s) shall be excluded from the time period provided in sub-section (2A) of section 6; sub-section (1B) of section 29; and sub-section(6) of section 31 of the Act.

(3) In case of a merger or an amalgamation, parties to the combination shall jointly file the notice in Form I or Form II as specified in schedule I to these regulations, as the case may be, duly signed by the person as specified under regulation 11 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024:

Provided that in case of a company, apart from the person specified under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024, Form I or Form II may also be signed by any person duly authorised by the company.

(4) Where the ultimate intended effect of a business transaction is achieved by way of a series of steps or smaller individual transactions which are inter-connected, one or more of which may amount to a combination, a single notice, covering all these transactions, shall be filed.

(5) The requirement of filing notice under regulation 5 of these regulations shall be determined with respect to the substance of the transaction and any structure of the transaction(s), comprising a combination, that has the effect of avoiding notice in respect of the whole or a part of the combination shall be disregarded.

10. **Obligation to pay the fee.**

(1) The person filing notice under regulation 5 or regulation 8 of these regulations shall pay the fee as specified under regulation 11 of these regulations.

(2) Where the notice is filed jointly, the fee shall be payable jointly or severally.

11. **Amount of Fee**.

The amount of fee payable along with the notice in Form I or Form II as specified in schedule I to these regulations, as the case may be, shall be as under, —

(a) where the notice is filed in Form I, the fee payable shall be rupees thirty lakh only;

(b) where the notice is filed in Form II, the fee payable shall be rupees ninety lakh only.

12. **Mode of payment.**

The fee may be paid either by tendering demand draft or pay order or bankers' cheque, payable in favour of the Competition Commission of India (Competition Fund), New Delhi or through Electronic Clearance Service (ECS) by direct remittance to the Competition Commission of India (Competition Fund), Account No. 1988002100187687 with "Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066".

13. **Procedure for filing notice.**

(1) The duly filled in notice under regulation 5 or regulation 8 of these regulations along with one copy and an electronic version thereof shall be delivered to the Commission at the address published on its official website:

Provided that if the person required to give notice request for confidentiality of information or document(s) under sub-regulation (1) of regulation 7 of these regulations, such request may be filed as per the procedure laid down in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024, along with a duly filled in public version of the notice and an electronic version thereof.

(2) A summary of the combination, not containing any confidential information, in not more than 1000 words, comprising details regarding: (a) name of the parties to the combination; (b) the nature and purpose of the combination; (c) the products, services and business(es) of the parties to the combination; and (d) the respective markets in which the parties to the combination operate, shall be filed for the purpose of publishing the same on the website of the Commission.

(3) The Secretary shall issue an acknowledgement of the receipt of notice given pursuant to

regulation 5 or regulation 8 of these regulations.

(4) All responses or other documents required to be filed before the Commission consequent to the filing of the notice under regulation 5 or regulation 8 of these regulations shall also be filed as per the procedure contained in sub-regulation (1):

Provided that for the purposes of this regulation, the Secretary may through public announcement inform the procedure for electronic filing, increase or decrease the number of copies or vary the format in which the electronic version is to be filed.

(5) The notice under sub-sections (2) and (4) of section 6 of the Act, clause (a) of section 6A of the Act, and sub-regulation (2) of regulation 8 of these regulations may be given electronically when the facility for the same is made available by the Commission.

14. Scrutiny of notice and inquiry.

(1) The notice filed under regulation 5 or regulation 8 of these regulations shall not be valid unless it is complete and in conformity with these regulations.

(2) Where the information or document(s) contained in the notice under regulation 5 or regulation 8 of these regulations or any response filed pursuant to these regulations appears to be incomplete in any respect, the parties to the combination may be asked to remove such defect(s) or furnish the required information including document(s):

Provided that the defects in notice shall be communicated to the parties to the combination within ten working days of receipt of notice.

(3) The parties shall comply with the directions as referred to in sub-regulation (2) within the time specified by the Commission and the notice shall be deemed to have been given under regulation 5 or regulation 8 of these regulations only on the date of such compliance.

(4) Where, it is found by the Commission that it requires additional information, the Commission may direct the parties to the combination to file such additional information.

(5) The directions under sub-regulation (4) shall be complied within the time specified by the Commission and in the case of the notice filed under regulation 5 of these regulations, the time taken to furnish the required information including document(s) shall be excluded from the period provided in sub-section (2A) of section 6; sub-section (1B) of Section 29; and sub-section (6) of section 31 of the Act.

(6) The Secretary shall place the proof of service of communications as referred to in sub-regulation (2), (3) and (4) on record.

(7) In case of failure to remove the defects or failure to furnish the required information including documents(s), within the time specified, the notice given under regulation 5 or regulation 8 of these regulations shall not be treated as a valid notice:

Provided that the Commission may give an opportunity of being heard to the parties to the combination in accordance with regulation 23 of these regulations before deciding to invalidate a notice:

Provided further that the Commission may, after recording reasons, invalidate a notice given under regulation 5 or regulation 8 of these regulations when it comes to the knowledge of the Commission that such notice is not valid as per sub-regulation (1) and, in that case, the Secretary shall convey the decision of the Commission to person who has given notice within seven days of such decision of the Commission:

Provided further that the period between the commencement of proceedings under this regulation till the decision of the Commission regarding validity of the notice, shall be excluded from the period specified in sub-section (2A) of section 6; sub-section (1B) of section 29, and sub-section (6) of section 31 of the Act:

Provided further that where a notice is given again after invalidation, the fee already paid shall be adjusted against the fee to be paid in respect of the new notice if such notice is given within a period of forty-five days from the date of communication of the decision of the Commission.

(8) Where the Commission deems it necessary, it may call for information from any other person as to whether a combination has caused or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India:

Provided that the time taken in obtaining the information from such person(s) shall be excluded from the time provided in sub-section (2A) of section 6; sub-section (1B) of section 29, and sub-section (6) of section 31 of the Act:

Provided further that where the Commission calls for information under this sub-regulation, the same shall be communicated by the Secretary to the person who has given notice.

15. **Intimation of any change**.

(1) The person who has given notice under regulation 5 or regulation 8 of these regulations shall inform the Commission of any change in the information provided in the notice to the Commission within 10 working days from the date of issuance of acknowledgement by Secretary under sub-regulation (3) of Regulation 13.

(2) The Secretary shall place the information relating to any change in the notice before the Commission.

(3) The Commission shall assess the significance of the information relating to that change and, if satisfied, take on record the information received.

(4) Where the Commission is of the view that the change is likely to affect the factors for the determination of the appreciable adverse effect on competition significantly, it may after recording reasons, treat the notice already filed as not valid.

(5) Where the Commission has held a notice to be not valid under sub-regulation (4), the Secretary shall convey the decision of the Commission to the person who has given notice within seven days of the decision of the Commission:

Provided that the fee already paid shall be adjusted against the fee to be paid in respect of the new notice if the notice is given within a period of forty-five days from the date of communication of the decision of the Commission.

16. **Withdrawal and re-filing of notice.**

(1) At any time prior to the issuance of notice under sub-section (1) of section 29 of the Act, the Commission may on the request of the person who has given notice allow withdrawal of the notice given under regulation 5 or regulation 8 of these regulations.

(2) In case of withdrawal of notice under sub-regulation (1), the fee already paid in respect of such notice shall be adjusted against the fee payable in respect of new notice provided the new notice is given within forty-five days from the date of withdrawal.

17. **Termination of proceedings.**

The proceedings under this Act relating to the combinations shall be terminated upon, —

(a) receiving an intimation from the person(s) or enterprise(s) who filed the notice to the effect that the proposed combination will not take effect;

(b) passing of an order by the Commission under section 31 of the Act:

Provided that if the approval of the Commission is conditional upon the parties to the combination carrying out modification to the combination, the proceedings shall terminate upon acceptance of the compliance report by the Commission under regulation 26 of these regulations.

18. **Mode of service of notice(s), etc.**

Save as otherwise provided in the Act or in these regulations, the service of any communication or intimation to any person or enterprise under these regulations shall be effected in the manner as provided in regulation 22 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024 or by electronic transmission as considered appropriate by the Commission.

19. **Calling for a report from the Director General.**

(1) After receipt of the response to the notice to show cause under sub-section (1) of section 29 of the Act, the Commission may decide to call for a report from the Director General

under sub-section (1A) of section 29 of the Act within the time as specified by the Commission.

(2) The Secretary shall convey the direction of the Commission under sub-regulation (1) to the Director General, along with copy of the notice with all other documents, materials, affidavits, statements, which have been filed or are otherwise available with the said notice and a copy of the show-cause notice issued under sub-section (1) of section 29 of the Act and response thereto.

20. **Report by the Director General.**

(1) The Director General shall include in his report the basis of having reached the conclusions therein together with all evidences or documents or statements collected during the investigation and analysis thereof.

(2) Two copies of the report of the Director General duly signed on each page by the Director General, or his authorized officer, along with an electronic version in document format, shall be forwarded to the Secretary within the time specified by the Commission:

Provided that the Secretary may increase or decrease the number of copies of the report and may permit electronic transmission of the same.

21. **Publication of the details of the combination**.

(1) Where the Commission under sub-section (2) of section 29 of the Act is of the *prima facie* opinion that the combination has caused or is likely to cause appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India, the Secretary shall convey the direction of the Commission to the person who has given notice, to publish the details of the combination within seven days of such direction.

(2) The details of combination shall be published by the parties in Form III, as specified in schedule I to these regulations.

(3) The parties shall submit the details of combination to be published under sub-regulation (2) to the Commission before its publication and the Commission may host the same on its official website.

(4) The details of the combination to be published under sub-regulation (2) shall, also be hosted by the parties on their websites not later than the time specified in sub-regulation (1).

(5) The parties shall publish the details of the combination under sub-regulation (2), not later than the time specified in sub-regulation (1), in all India editions of four leading daily newspapers including at least two business newspapers.

22. **Proof of publication.**

The person who has given notice shall submit copies of publication, referred to in regulation 21 of these regulations, to the Secretary, not later than the two days from the date of publication of the details of the combination.

23. **Appearance of the parties before the Commission**.

Where the Commission deems it necessary to give an opportunity of being heard to the parties to the combination at any time during its inquiry, the Secretary shall issue a notice conveying the directions of the Commission to the said parties, to appear before it on the date and time, as directed by the Commission:

Provided that the period between the date of issue of notice and the date of hearing scheduled therein, not exceeding ten days, shall be excluded from the period specified in sub-section (2A) of section 6; sub-section (1B) of section 29; and sub-section (6) of section 31 of the Act:

Provided further that if the parties to the combination seek additional time to appear before the Commission, such time shall be excluded from the period specified in sub-section (2A) of section 6; sub-section (1B) of section 29; and sub-section (6) of section 31 of the Act.

24. **Statement of Objections.**

Upon completion of the process under section 29 of the Act, where the Commission is of the opinion that the combination has or is likely to have an appreciable adverse effect on competition and decides to issue statement of objections under subsection (1) of section 29A of the Act, the

Secretary shall communicate the statement of objections to the person who has given notice within four days.

25. Modification to the proposed combination.

(1) Where Commission decides to propose modification either under sub-section (7) of section 29 of the Act or under the proviso to sub-section (3) of section 29A of the Act, the Secretary shall communicate within seven days, the proposal of the Commission to the person who has given notice and such person shall submit its acceptance or non-acceptance, in writing, within five days of the receipt of the proposal of the Commission:

Provided that the time taken in communication of the proposal of the Commission not exceeding seven days shall be excluded from the period provided in sub-section (1B) of section 29 of the Act:

Provided further that the time taken by the person who has given the notice for such acceptance or non-acceptance shall be excluded from the period provided in sub-section (2A) of section 6, sub-section (1B) of section 29, and sub-section (6) of section 31 of the Act.

(2) The modification offered by the parties to combination under sub-section (7) of 29 of the Act or sub-sections (2) or (3) of Section 29A shall be filed in Form IV as specified in schedule I to these regulations.

(3) The modification under sub-section (7) of Section 29 of the Act shall be offered within ten working days from the date of issuance of acknowledgement by Secretary under sub-regulation (3) of Regulation 13 or along with response to communication issued under sub-regulation (2) of Regulation 14 of these regulations, whichever is later.

(4) The parties to the combination may offer modification in Form IV along with their response to the notice issued under sub-section (1) of section 29 of the Act, within fifteen days of the receipt of such notice, to address the *prima facie* concerns in the said notice and on that basis, the Commission may approve the proposed combination under sub-section (1) of section 31 of the Act.

(5) Where the Commission approves a combination under sub-section (3) of section 31 of the Act subject to modification, the parties to the combination shall carry out such modification as per the terms and conditions and within the period as may be specified by the Commission in its order.

(6) Where the Commission has approved a combination under sub-section (3) of section 31 of the Act subject to modification and the parties to the combination fail to carry out the modification within the period specified by the Commission, the Commission shall pass an order under sub-clause (b) of sub-section (5) of section 31 of the Act within time not exceeding thirty days from the date of determination by the Commission of the failure of the parties to carry out the modification.

26. Compliance by the parties for carrying out modification.

(1) The parties to the combination shall, upon completion of modification, file a report along with an affidavit of compliance of the modification as per the terms and conditions of the order of the Commission under section 31 of the Act, before the Secretary within seven days of such completion.

(2) Where the modification requires periodical compliance, the parties to the combination shall submit a report to the Commission as per the order of the Commission.

(3) In case the parties to the combination fail to file the report under sub- regulations (1) or (2) of this regulation, the Secretary shall place the matter of such non-compliance before the Commission for appropriate directions.

27. Appointment of independent agencies to oversee modification.

Where the Commission is of the opinion that the implementation of the modifications to the proposed combination needs supervision, it may appoint agencies to oversee such modifications, in terms of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024 and on such terms and conditions as may be specified by the Commission.

28. Orders of the Commission.

(1) Where the Commission decides to pass an order under sub-sections (1) or (2) or (3) or (5) of section 31 of the Act, the Secretary shall communicate to the person who has given notice, the decision of the Commission within seven days of such decision.

(2) Subject to the provisions of section 57 of the Act, and regulation 31 of these regulations, the orders passed by the Commission under section 31 of the Act shall be published on its website.

29. Overriding effect.

The provisions of these regulations shall have effect in all matters relating to combinations notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other regulations framed under the Act.

30. Cooperation with other agencies or statutory authorities.

Where the Commission deems fit, it may seek opinion of any other agency or statutory authority in relation to a combination.

31. Removal of difficulty.

In the matter of implementation of the provisions of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the same shall be placed before the Commission and the decision of the Commission thereon shall be final and binding.

32. Power to Issue directions.

Having regard to the provisions of the Act, the Commission may, from time to time, in discharge of its duties, issue general or sector specific directions, guidelines, clarifications or circulars for regulation of combinations.

33. Repeal and Savings.

(1) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transactions of business relating to combinations) Regulations, 2011 stands repealed from the date on which these regulations come into force:

Provided that the provisions of the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transactions of business relating to combinations) Regulations, 2011, as they stood on the date immediately before these regulations come into force, shall continue to apply to the notice(s) given under sub-section (2) of section 6 of the Act before these regulations come into force.

(2) Notwithstanding such repeal, —

(a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including fees collected, any proceedings or decision, inquiry or investigation commenced or show-cause notice issued under the repealed regulations, prior to such repeal, shall remain unaffected as if the repealed regulations have never been repealed;

(b) the operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, or any investigation, legal proceeding or remedy shall remain unaffected as if the repealed regulations have never been repealed.

34. Transition Provision

Notwithstanding the relevant date, the provisions of sub-section (2) of section 6, sub-section (4) of section 6, and section 6A of the Act shall apply to an acquisition of control, shares, voting rights or assets of an enterprise, merger or amalgamation which comes into effect, wholly or partly, on or after the date on which these regulations come into force:

Provided that such acquisition, merger or amalgamation otherwise satisfies the provisions of section 5 of the Act and is not exempt under the provisions of Act or rules made thereunder as applicable on the date on which these regulations come into force, if the same previously did not

require notice to the Commission.

Provided further that the provisions of section 43A of the Act shall not apply in relation to any part of such acquisition, merger or amalgamation which has come into effect before these regulations come into force, if the same previously did not require notice to the Commission.

SCHEDULE I

FORM I

[See Regulation 5(1)]

Registration No: (to be assigned by the Competition Commission of India)

Information required to be filled in by the notifying party(ies)

Part I: Basic information

1. Information about each of the party to the combination:

1.1 Legal name of parties to the combination:

1.2 Legal status of the parties to the combination (Company/Firm/LLP/Trust, etc.):

1.3 Jurisdiction of incorporation/formation:

1.4 Registration number (if applicable):

1.5 Complete registered address / principal business address:

1.6 Name of the person signing on behalf of the parties to the combination and his contact details (email address, telephone no, mobile no, including country/city/area code):

1.7 Complete address and contact details in India:

1.8 Website address:

1.9 Relevant 4 - digit National Industrial Classification of the activities of the parties to the combination:

1.10 Date of pre-filing consultation, if any:

Part II: Proof of payment of fees

[See Clause (a) of Regulation 11]

2. Particulars of fee deposited

Part III: Authorization regarding communication

3. Name, complete address and contact details of individual(s) located in India who is authorized to receive communication(s) on behalf of each of the notifying party(ies).

Part IV: Meeting the thresholds

[See section 5 of the Act]

4. Financial details and Value of Transaction

4.1 Details of assets and turnover of the parties to the combination in the format given below:

Name of the Parties	**Assets (as on___)**			**Turnover (for FY ____)**		
	In India	**Worldwide**		**In India**	**Worldwide**	
	(Rupees in crore)	**USD (million)**	**Rupees (crore)**	**(Rupees in crore)**	**USD (million)**	**Rupees (crore)**
Party 1						
Party 2						
Combined						

4.2 Value of Transaction for combinations covered under section 5(d) of the Act and meeting of criteria prescribed under sub-regulation (2) of the regulation 4 of these regulations;

Part V: Description of the combination

5. Describe the combination by providing information regarding the following:

5.1 Scope of the combination notified pursuant to sub-section (2) of section 6 or section 6A of the Act (with reference to relevant clause under the agreement(s), as applicable):

5.1.1 Details of acquisition or merger or amalgamation, as the case may be, with reference to relevant clause of Section 5;

5.1.2 Any other transaction(s) that is/are inter-connected, in terms of sub-regulation (4) and / or (5) of regulation 9 of these regulations; and

5.1.3 Right(s) acquired or arising out of or in connection with the transaction(s) referred to at 5.1.1 and 5.1.2 above.

5.2 Step(s) to give effect to the combination, along with timelines for each step(s) of the combination.

5.3 Economic and strategic purpose (including business objective and rationale for each of the parties to the combination and the manner in which they are intended to be achieved) of the combination.

5.4 Value of the proposed combination.

5.5 Foreign investment as a result of the combination (FDI, FPI, etc., if any, in rupees) and country(ies) of origin.

5.6 Filing requirements and its status in jurisdictions other than India

5.7 Any other relevant information related to the combination.

Part VI: Activities of parties to the combination and sector overview

6. Details about each of the parties to the combination:

6.1 Name of the group to which the parties to the combination belong.

6.2 For each of the parties to the combination, provide details regarding the following:

6.2.1 Entities in India and the presence in India (for example, sales office, factory, liaison office, branch office, franchise or through any entity from outside India, etc.);

6.2.2 Tradename(s), business name(s) and the brand name(s) used in India;

6.2. 3 Overview of activities worldwide and in India, as applicable.

6.3 List/details of the products (manufactured, supplied, distributed, and/or sold) and/or services provided by the parties to the combination.

6.4 **Horizontal Overlaps** – State as to whether the parties to the combination and/or their respective group entities, directly or indirectly, produce/provide similar or identical or substitutable products or services, considering all plausible alternative(s):

Yes ☐ No ☐

If the answer is yes, furnish the following information [information shall be furnished for each of the plausible alternative relevant market]:

6.4.1 Details of the overlapping products/ services and the relevant product and relevant geographic market, considering all plausible alternative(s), along with explanation for accepting and rejecting each of the plausible alternative of relevant product and relevant geographic market;

6.4.2 Estimate, indicating the relevant source and the basis of estimate, the total size of the market for last three years, in terms of value of sales (in rupees) and volume (units);

6.4.3 Sales in value (in rupees) and volume (units) along with an estimate of the market share(s) of each of the parties to the combination (including their relevant group entities), for the last three years; and

6.4.4 Name and contact details of the five largest competitors (along with their market shares for last three years), customers and suppliers.

6.5 Vertical and Complementary Activities : State as to whether any of the parties to the combination and/or their respective group entities, directly or indirectly, are engaged in any activity

relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the combination is involved, considering all plausible alternative(s); and/or any complementary activities:

Yes ☐ No ☐

If the answer is yes, furnish the following information [information shall be furnished for each the plausible alternative relevant market]:

6.5.1 Details of the upstream and downstream activities or the complementary activities, as the case may be, and the relevant product and relevant geographic markets, considering all plausible alternative(s), along with explanation for accepting and rejecting each of the plausible alternative of relevant product and relevant geographic market;

6.5.2 Market size for the last three years for relevant product and/or services;

6.5.3 Market share of each of the parties to the combination (including their relevant group entities) for relevant product and/or services for the last three years;

6.5.4 Market share of five largest competitors for relevant product and services for the last three years; and

6.5.5 Existing supply arrangements between the parties to the combination along with volume and value of transactions, during the previous financial year and percentage of such sales/consumption of the respective parties in relation to the total sales/consumption in each of the market(s).

6.6 Whether any of the parties to the combination or any of their group entities has direct or indirect shareholding and/or control over another enterprise(s) engaged in: (a) production, distribution or trading of similar/ identical/ substitutable products or provision of similar/ identical/ substitutable services; and/or (b) any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the combination is involved; and/or (c) complementary activities. If yes, provide details and necessary information as per Item 6.1 to 6.5 above.

6.7 Brief overview of the sector(s) in which the parties to the combination operate. If parties to the combination are engaged in identical, similar, supplementary or complementary businesses, also provide a brief description of the market structure; regulatory framework; recent entry and exit; and any other relevant information, relating to concerned businesses.

6.8 If any of the parties to the combination was a party to any proceeding before the Commission under or pursuance to any provision of the Act or before other competition authority(ies), during the last five years, provide details of said proceeding(s).

Part VII: Green Channel

7. Whether the notice for the proposed combination is under Green Channel:

Yes ☐ No ☐

Part VIII: Attachments

8. Attach the following documents:

8.1 Authorisation for signing the notice (refer item 1.6 above).

8.2 Acknowledgement for payment of fees to the Commission (refer item 2 above).

8.3 Authorisation for receiving communication (refer item 3 above).

8.4 Annual report of the parties to the combination, for the preceding financial year.

8.5 Document(s) referred under explanation (f) and (h) to sub-regulation (1) of regulation 4, if applicable.

8.6 Summary of the combination in terms of sub-regulation (2) of regulation13 of these regulations.

8.7 Chart depicting shareholding/extent of ownership and voting right (if different from ownership pattern) along with details of control, prior to and after the combination, of: (a) the parties to the combination starting from their ultimate parent entity and controlling shareholder(s); and (b) for the enterprises, whose structure, ownership and control will be directly or indirectly affected by the combination.

8.8 Copy of approval or agreement/documents as referred to in sub-section (2) of section 6 read with regulation 5 of these regulations.

8.9 Documents, material (including reports, studies, plan, latest version of other documents), etc. considered by and/or presented to the board of directors and/or key managerial person of the parties to the combination and/or their relevant group entities, in relation to the proposed combination.

8.10 If the notice for the proposed combination is under Green Channel, declaration in terms of Schedule III.

8.11 If the notice is under clause (a) of section 6A, declaration in terms of Schedule II.

DECLARATION

The notifying party confirms that it has furnished all the information and documents as required in Form – I, read with notes thereto.

The notifying party confirms that all information given in this Form and all pages annexed hereto are true, correct and complete to the best of its knowledge and belief, and that all estimates are identified as such and are its best estimates based on the underlying facts.

Signed by or on behalf of the notifying party

Signature(s)

Name (in block letters):

Designation:

Date: _____

[In case there are more than one notifying parties, each party may use the same format.]

FORM II

[See regulation 5(2)]

Registration No: (to be assigned by the Competition Commission of India)

Information required to be filled in by the notifying party(ies)

Part I: Basic information

1. Information about each of the party to the combination:

1.1. Legal names of parties to the combination and their role:

1.2. Legal status of the parties to the combination (Company/Firm/LLP/Trust etc.):

1.3. Jurisdiction of incorporation/formation:

1.4. Registration number (if applicable):

1.5. Complete registered address / principal business address:

1.6. Name of the person signing on behalf of the parties to the combination and his contact details (email address, telephone number, mobile number, including country/city/area code):

1.7. Complete address and contact details in India:

1.8. Website address:

1.9. Relevant 4-digit National Industrial Classification of the activities of the parties to the combination:

1.10. Date of pre-filing consultation, if any:

Part II: Payment of fee

[**See clause (b) of regulation 11**]

2.Particulars of fee deposited.

Part III: Authorisation regarding communication

3.Name, complete address and contact details of Individual(s) in India who is authorised to receive communication(s) on behalf of the notifying party(ies).

Part IV: Meeting the thresholds

[See section 5 of the Act]

4.Financial details and Value of Transaction

4.1. Details of assets and turnover of the parties to the combination in the format given below:

Name of the Parties	**Assets (as on___)**			**Turnover (for FY ____)**		
	In India	**Worldwide**		**In India**	**Worldwide**	
	(Rupees in crore)	**USD (million)**	**Rupees (crore)**	**(Rupees in crore)**	**USD (million)**	**Rupees (crore)**
Party 1						
Party 2						
Combined						

4.2. Value of Transaction for combinations covered under section 5(d) of the Act and meeting of criteria prescribed under sub-regulation (2) of the regulation 4 of this regulations;

Part V: Description of the combination

5.Describe the combination by providing information regarding the following:

5.1 Scope of the combination notified pursuant to sub-section (2) of section 6 or section 6A of the Act (with reference to relevant clause under the agreement(s), as applicable):

5.1.1 Details of acquisition or merger or amalgamation, as the case may be, with reference to relevant clause of section 5;

5.1.2 Any other transaction(s) that is/are inter-connected, in terms of sub-regulation (4) and / or (5) of regulation 9 of these regulations; and

5.1.3 Right(s) acquired or arising out of or in connection with the transaction(s) referred to at 5.1.1 and 5.1.2 above.

5.2 Step(s) to give effect to the combination, along with timelines for each step(s) of the combination.

5.3 Economic and strategic purpose (including business objective and rationale for each of the parties to the combination and the manner in which they are intended to be achieved) of the combination.

5.4 Value of the proposed combination.

5.5 Foreign investment as a result of the combination (FDI, FPI, *etc.*, if any, in rupees) and country(ies) of origin.

5.6 Filing requirements and its status in jurisdictions other than India.

5.7 Any other relevant information related to the combination.

Part VI: Activities of parties to the combination and sector overview

6.Details about each of the parties to the combination:

6.1. Name of the group to which the parties to the combination belong.

6.2. For each of the parties to the combination, details regarding the following:

6.2.1. Entities in India and the presence in India (for example, sales office, factory, liaison office, branch office, franchise or through any entity from outside India, etc.);

6.2.2. CEO / CFO /directors /partners /trustees / person in charge / other key managerial person(s) during the last one year;

6.2.3. Trade name(s), business name(s) and the brand name(s) used in India; and

6.2.4. Overview of activities worldwide and in India, as applicable.

6.3. List/details of the products (manufactured, supplied, distributed, and/or sold) and/or services provided by the parties to the combination.

6.4. **Horizontal Overlaps** – State as to whether the parties to the combination and/or their respective group entities, directly or indirectly, produce/provide similar or identical or substitutable products or services, considering all plausible alternative(s):

Yes ☐ No ☐

If the answer is yes, furnish the following information [information shall be furnished for each of the plausible alternative relevant market(s)]:

6.4.1. Details of the overlapping products/ services and the relevant product(s) and relevant geographic market(s), considering all plausible alternative(s), alongwith explanation for accepting and rejecting each of the plausible alternative of relevant product and relevant geographic market(s);

6.4.2. Estimate, indicating the relevant source and the basis of estimate, the total size of the market for last five years, in terms of value of sales (in rupees) and volume (units);

6.4.3. Sales in value (in rupees) and volume (units) along with an estimate of the market share(s) of each of the parties to the combination (including their relevant group entities), for the last five years;

6.4.4. Name and contact details of the largest competitors having market share of at least five percent (along with their market shares for last five years), customers (along with their individual shares in supplies made by the party for last five years) and suppliers (along with their individual shares in procurement made by the party for last five years) of each the party;

6.4.5. Details of structure of market and demand:

6.4.5.1. Level of concentration, in terms of number of enterprise CR4 Index, and HHI (Herfindahl - Hirschman Index), in the relevant market(s), pre and post the combination;

6.4.5.2. Nature and extent of competition in the relevant market(s), supported by market studies, forecast, surveys *etc*, (if any);

6.4.5.3. Extent and importance of product differentiation in terms of attributes, quality, price, intended use, user experience *etc*. and the degree to which the products or services of the parties to the combination are close substitutes;

6.4.5.4. Ease of switching and cost involved therein (in terms of time and expense) for switching from one supplier to another or one product to another;

6.4.5.5. Details of recent disruptions in the market, be it technological or any change in business models or any product or process innovation(s) or by any other means that have altered markets; and

6.4.5.6. Degree of competition constraint exerted by imports.

6.4.6. Details of legal and regulatory framework:

6.4.6.1. Regulations / laws / rules / procedures / official press notes / directions / notifications / tariff and non-tariff regulation, *etc.*, which restrict production, supply, distribution of the similar or identical or substitutable products or services of the parties to the combination;

6.4.6.2. Local specifications prescribed by government / departments / authorities regarding similar or identical or substitutable products or services;

6.4.6.3. Licensing / registration requirements to set up facilities for production / supply of the similar or identical or substitutable products or services; and

6.4.6.4. Government procurement policies which offer special dispensation to the parties to combination or their competitors.

6.4.7. Research and Development (R&D):

6.4.7.1. Importance of R&D capabilities and possession of intellectual property rights to enable an enterprise to remain competitive or to survive in the relevant market(s);

6.4.7.2. Nature and extent of the R&D activities, if any, carried out by the parties to the combination over last past five years and material intellectual property rights possessed by the parties to the combination;

6.4.7.3. Scheduled and / or intended R&D activities of parties of the combination, with and without the combination. Effect of the combination on extent, nature and/or size of R&D activities of the parties to the combination, and likely impact of such change on competition in the relevant market(s); and

6.4.7.4. Ease of procurement of relevant technologies including imports and off shelf purchases.

6.4.8. Entry into the relevant market(s):

6.4.8.1. Factors influencing entry into the relevant market(s);

6.4.8.2. Details of enterprise(s) that have entered or attempted to enter the relevant market(s) in the last five years;

6.4.8.3. Details of likelihood of entry of enterprise(s) of significant size in the relevant market(s) within next two years;

6.4.8.4. Details of entry or attempt to entry by any party to the combination in any geographic area in India for the relevant product(s)/service(s) during the last five years; and

6.4.8.5. Details of pipeline acquisitions in same relevant market(s) by the parties to the combination.

6.4.9. Exit from the relevant market(s):

6.4.9.1. Details of enterprise(s) that have exited or attempted to exit from the relevant market(s) in the last five years;

6.4.9.2. Details of likelihood of exit of enterprise(s) of significant size in the relevant market(s) within next two years;

6.4.9.3. Details of likely reduction in scope and/or change in nature/extent/volume of supply of identical, similar or substitutable product(s) and/or service(s) offered by the parties to the combination as a result of, in connection with or in furtherance of the combination;

6.4.9.4. Details of pipeline products or services, planned expansion (whether in terms of capacity or geographic area *etc*.) in same relevant market(s) by the parties to the combination, absent the combination, and likely impact of the combination on such product or services or expansion.

6.4.10. Details of imports;

6.4.11. Details of exports; and

6.4.12. Information with reference to factors given under sub-section (4) of section 20 of the Act.

6.5. **Vertical and Complementary Activities :** State as to whether any of the parties to the combination and/or their respective group entities, directly or indirectly, are engaged in any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the combination is involved, considering all plausible alternative(s); and/or any complementary activities:

Yes ☐ No ☐

If the answer is yes, furnish the following information [information shall be furnished for each the plausible alternative relevant market(s)]:

6.5.1. Details of the upstream and downstream activities or the complementary activities as

the case may be, and the relevant product and relevant geographic market(s), considering all plausible alternative(s), along with explanation for accepting and rejecting each of the plausible alternative of relevant product and relevant geographic market(s);

6.5.2. Market size for the last five years for relevant product and/or services;

6.5.3. Market share of each of the parties to the combination (including their relevant group entities) for relevant product and/or services for the last five years;

6.5.4. Name and contact details of the largest competitors having market share of at least five percent (along with their market shares for the last five years) for relevant product and services;

6.5.5. Name and contact details of five largest customers of each of the parties having presence in upstream market along with individual share of such customers in supplies made by the party(ies) for last five years;

6.5.6. Name and contact details of five largest suppliers of each of the parties having presence in downstream market along with individual share of such suppliers in procurement made by the party(ies) for last five years;

6.5.7. Existing supply arrangements between the parties to the combination along with volume and value of transactions, during the previous financial year and percentage of such sales/consumption of the respective parties in relation to the total sales/consumption in each of the market(s);

6.5.8. Details of structure of market and demand:

6.5.8.1. Level of concentration, in terms of number of enterprise CR4 Index, and HHI (Herfindahl - Hirschman Index), in the relevant market(s), pre and post the combination;

6.5.8.2. Nature and extent of competition in the relevant market(s), supported by market studies, forecast, surveys *etc*, (if any);

6.5.8.3. Ease of switching and cost involved therein (in terms of time and expense) for customers for switching from one supplier to another or one product to another.

6.5.8.4. Details of recent disruptions in the market, be it technological or any change in business models or any product or process innovation (s) or by any other means that have altered markets; and

6.5.8.5. Degree of competition constraint exerted by imports;

6.5.9. Details of legal and regulatory framework:

6.5.9.1. Regulations / laws / rules / procedures / official press notes / directions / notifications, tariff and non-tariff regulations, *etc.,* which restrict production, supply, distribution of the relevant products or services of the parties to the combination;

6.5.9.2. Local specifications prescribed by government / departments / authorities regarding relevant products or services;

6.5.9.3. Licensing / registration requirements to set up facilities for production / supply of the relevant products or services; and

6.5.9.4. Government procurement policies which offer special dispensation to the parties to combination or their competitors.

6.5.10. Research and Development (R&D):

6.5.10.1. Importance of R&D capabilities and possession of intellectual property rights to enable an enterprise to remain competitive or to survive in the relevant market(s); and

6.5.10.2. Nature and extent of the R&D activities, if any, carried out by the parties to the combination over last past five years and material intellectual property rights possessed by the parties to the combination; and

6.5.10.3. Ease of procurement of relevant technologies including imports and off

shelf purchases.

6.5.11. Entry into the relevant market(s):

6.5.11.1. Factors influencing entry into the relevant market(s);

6.5.11.2. Details of enterprise(s) that have entered or attempted to enter the relevant market(s) in the last five years;

6.5.11.3. Details of likelihood of entry of enterprise(s) of significant size in the relevant market(s) in the next two years;

6.5.11.4. Details of entry or attempt to entry by any party to the combination in relevant upstream or downstream markets during last five years;

6.5.11.5. Details of planned entry in any geographic area in India or expansion, whether in terms of capacity or geographic area *etc*., in relevant upstream product / service or downstream product / service; and

6.5.11.6. Details of pipeline acquisitions in same relevant upstream or downstream market by the parties to the combination.

6.5.12. Exit from the relevant market(s):

6.5.12.1. Details of enterprise(s) that have exited or attempted to exit from the relevant market(s) in the last five years; and

6.5.12.2. Details of likelihood of exit of enterprise(s) of significant size in the relevant market(s) within next two years.

6.5.13. Details of imports;

6.5.14. Details of exports; and

6.5.15. Information with reference to other factors given under sub-section (4) of section 20 of the Act.

6.6. Whether any of the parties to the combination or any of their group entities has direct or indirect shareholding and/or control over another enterprise(s) engaged in: (a) production, distribution or trading of similar/ identical/ substitutable products or provision of similar/ identical/ substitutable services; and/or (b) any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the combination is involved; and/or (c) complementary activities. If yes, provide details and necessary information as per item 6.1 to 6.5 above along with a tabular presentation illustrating direct or indirect shareholding, right or ability to exercise any right (including any advantage of commercial nature with any of the party or its affiliates) that is not available to an ordinary shareholder and right or ability to nominate a director or observer in another enterprise (s);

6.7. Brief overview of the sector(s) in which the parties to the combination operate;

6.8. Likely impact of the Combination on the economy, market(s) and consumers; and

6.9. If any of the parties to the combination was a party to any proceeding before the Commission under or pursuance to any provision of the Act or before other competition authority(ies), during the last five years, provide details of said proceeding(s).

Part VII: Attachments

7. Attach the following documents:

7.1. Authorisation for signing the notice (refer item 1.6 above).
7.2. Acknowledgement for payment of fees to the Commission (refer paragraph 2 above).
7.3. Authorisation for receiving communication (refer paragraph 3 above).
7.4. Annual report of the parties to the combination, for the preceding financial year.
7.5. Document(s) referred under explanation (f) and (h) to sub-regulation (1) of regulation 4, if applicable.
7.6. Summary of the combination in terms of sub-regulation (2) of regulation 13 of these regulations.
7.7. Executive summary of the proposed combination specifying: (a) the parties to the combination; (b) the nature of the combination; (c) the areas of activities of the parties to the combination;

(d) the market(s) (including its structure and state of competition) in which the combination will have or is likely to have an impact; (e) information with reference to sub-section (4) of section 20 of the Act; and (f) expected timeframe for completion of various stages of the Combination.

7.8. Chart depicting shareholding/extent of ownership and voting right (if different from ownership pattern) along with details of control, prior to and after the combination, of: (a) the parties to the combination starting from their ultimate parent entity and controlling shareholder(s); and (b) for the enterprises, whose structure, ownership and control will be directly or indirectly affected by the combination.

7.9. Recent organisational chart of each of the parties to the combination.

7.10. Copy of approval or agreement/documents as referred to in sub-section (2) of section 6 of the Act read with regulation 5 of these regulations.

7.11. Documents, material (including reports, studies, plan, latest version of other documents), *etc*. considered by and/or presented to parties to the combination including their relevant group entities and/or their board of directors and/or key managerial person, in relation to the proposed combination.

7.12. If the notice is under clause (a) of section 6A, declaration in terms of Schedule II.

DECLARATION

The notifying party confirms that it has furnished all the information and documents as required in Form II, read with notes thereto, if any.

The notifying party declares and confirms that all information given in this Form and all pages annexed hereto are true, correct and complete to the best of its knowledge and belief, and that all estimates are identified as such and are its best estimates based on the underlying facts.

Signed by or on behalf of the notifying party

Signature(s)

Name (in block letters):

Designation:

Date: _____

FORM III

[See regulation 21(2)]

Details of combination under subsection (2) of Section 29 of the Competition Act, 2002

1. The Competition Commission of India ("Commission") is investigating into the combination between [●] (name and address) and [●] (name and address).

2. The details of the combination in form of the summary, as provided by the parties to the combination under column 1 of Form II are asunder:

3. In order to determine whether the combination has or is likely to have an appreciable adverse effect on competition in the relevant market in India, the Commission invites comments/ objections/ suggestions in writing, from any person(s) adversely affected or likely to be affected by the combination, to submit in writing, as provided under sub-section (3) of section 29 of the Act, to be addressed to the Secretary, Competition Commission of India, 10th Floor, NBCC Office Complex, Office Block – I, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, within ten days from the date of this publication.

4. The comments/objections/suggestions shall state:

a. name, address and contact details of the person(s) writing to the Commission, and

b. with supporting documents, how such a person(s) is adversely affected or is likely to be affected by the combination, keeping in view the relevant provisions of the Act/ factors provided under sub-section (4) of Section 20 of the Act.

The Commission is not likely to consider unsubstantiated objections.

FORM IV

[See regulation 25(3)]

1. Proposed Combination:
2. Likely Appreciable Adverse Effect on Competition (AAEC):
3. Summary of the Modification Offered:
4. Sufficiency of the Modifications to address the likely AAEC:
5. Divestment:

5.1. Divestment business: Description of the entities and/or businesses proposed to be divested along with the details of registered place of business, organizational structure, manufacturing facilities/ factories/ plants/ services centres/ sales offices, etc.

5.2. List of products and/or services offered through the divestment business.

5.3. Market share of the divestment business in the relevant market(s), during the preceding three financial years.

5.4. Scope of the divestment assets including the details of tangible and intangible assets/ intellectual properties; employees and other manpower; working capital, assets and liabilities; licenses; and supply contracts/ arrangements.

5.5. Measures to preserve viability, marketability and competitiveness of the divestment assets till completion of divestment. This could include hold separate arrangement, ring fencing of the divestment assets and transitional and supplementary arrangements.

5.6. Details of purchaser of the divestment assets and sale/transfer arrangements: (a) eligibility requirements of purchaser; (b) mode of selection; (c) due-diligence; and (d) negotiation and execution of sale/transfer agreements.

5.7. Time period for completion of divestment setting out key milestones: (a) time period within which divestment shall be completed - first divestment period (FDP); (b) appointment of divestiture agency after FDP; (c) second divestment period and authority of divestiture agency to modify the scope of assets to effect divestment; and (d) time line for completing other key events associated with the modification.

6. Other modifications:

6.1. Nature and scope of the modifications and reasons for not considering divestiture.

6.2. Terms and conditions including the duration for which the modification will be in effect.

7. Monitoring Arrangements.

SCHEDULE II

[See Regulation 5(4)]

DECLARATION

1. The notifying party confirms that it has furnished all information and documents as required in [Form I or Form II], specified in Schedule I.

2. The notifying party confirms that it has not, directly or indirectly, exercised: (a) any ownership or beneficial right or interest in such shares or convertible securities, except as specified by regulations; (b) influenced the affairs of the enterprise whose shares are being acquired, and undertakes not to do such exercise till the approval of the combination, in terms of the provisions of the Act.

3. The notifying party further undertakes to furnish such information and documents, as may be

required by the Commission and in its possession, for the purpose assessment of the combination notified to the Commission in Form I or Form II, as the case may be.

Signed by or on behalf of the notifying party

Signature(s) Name (in block letters):

Designation:

Date: _____

Note: In case there are more than one notifying party, each party shall file this declaration.

SCHEDULE III

[See Regulation 5(5)]

DECLARATION

1. The notifying party confirms that it has furnished all the information and documents as required in Form I, as specified in Schedule I.

2. The notifying party confirms that the proposed combination falls under _____ and is not likely to cause adverse effect on competition.

3. The notifying party confirms that it has not made any statement which is false in any material particular or knowing it to be false; or omitted to state any material particular knowing it to be material.

Signed by or on behalf of the notifying party

Signature(s)

Name (in block letters):

Designation:

Date: _____

Note: In case there are more than one notifying party, each party shall file this declaration.

INDER PAL SINGH BINDRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./476/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.